



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2015/पौष 23, 1936

No. 15]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2015/PAUSA 23, 1936

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2015

29 व 30 नवम्बर, 2014 को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत्त के अंश

मद संख्या 330/2014

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (भेरीफिकेशन) नियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित किया

संकल्प संख्या 216/2014

पूर्व के संकल्प संख्या 169/2014 दिनांक 17 अक्टूबर 2014 को संशोधित (Modify) करने का संकल्प लेकर परिषद् संकल्प पारित करती है कि सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (भेरीफिकेशन) ऑफ प्रैक्टिस नियम 2015 उपसमिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है को अनुमोदित (Approve) करता है। तदनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिनिवल रूल्स 2014 को विलोचित/रद्द करने का संकल्प लिया जाता है।

ये नियम अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1)(ag) द्वारा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 (ah) और 49 (i) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खंड अध्याय 1, नियम 1(1) और 2 और नियम - 2 और अध्याय III के उपधारा 3, 4 और खंड IX के नियम 17, 18 (h), 20, 22 और 24 के तहत प्रदत्त भाक्तियों के तहत पारित किये गये हैं।

**बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (भेरीफिकेशन) नियम, 2015**

**उद्देश्यों तथा तर्कों का विवरण :**

विधिक पेशा एक सम्माननीय पेशा है तथा यह लोगों के नागरिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने एवं बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वतंत्र तथा निडर बार सच्चे तथा स्वस्थ लोकतंत्र को बनाये रखने व बढ़ावा देने के लिए अहम तथा महत्वपूर्ण है। हालाँकि जो बार बाह्य शक्तियों के द्वारा हेरफेर तथा प्रभाव के अधीन होते हैं, वे चाहे जितने शक्तिशाली तथा सम्मानित हों, उनके द्वारा विधिक पेशे अथवा विधि के शासन के लिए न्याय नहीं किया जा सकता है। बेंच और बार एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं तथा एक-दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि इस पेशे की बहुत अवनति हो रही है।

सभी राज्य बार काउंसिल तथा भारतीय बार काउंसिल के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में यह चिंता व्यक्त की गयी कि अधिवक्ता अपना पेशा बदल कर अन्य पेशों/सेवाओं/व्यवसायों में राज्य बार काउंसिल को बिना किसी सूचना के लिप्त होते जा रहे हैं और इसका अनुपात चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, एवम् कई जगहों पर फर्जी लोग वकील के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति समग्र रूप से विधिक पेशे को खतरे में डाल रही है। इसके कारण इस पेशे की पवित्रता तथा मानकों को भी क्षति पहुंची है। ऐसे अधिवक्ताओं के नाम इस तथ्य के बावजूद, कि उन्होंने विधिक पेशे को छोड़ दिया है अथवा उनका निधन हो चुका है, राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित "अधिवक्ताओं की सूची" में शामिल हैं। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, राज्य बार काउंसिल द्वारा धारा 17 के अनुसार तैयार की गयी अधिवक्ताओं की सूची की एक प्रति तथा इसके बाद किये गए परिवर्तन/परिवर्धन भेजने के लिए विधिक दायित्व के अधीन हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से किसी राज्य बार काउंसिल ने अब तक अधिनियम के इस अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है।

इन परिस्थितियों में यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से प्रदर्शित होती है कि अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत बार संघों व अन्य निर्वाचित निकायों का नियंत्रण विधिक अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं के हाथ से फिसल रहा है। इसके साथ यह भी अनुभव किया जा रहा है कि किसी अधिवक्ता को नामांकन का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद उनके तथा काउंसिल के बीच व्यावहारिक रूप से कोई संचार और सतत संपर्क नहीं रह पाता है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/टिप्पणियों के आधार पर विधिक पेशे के स्तर में सुधार लाने के लिए लागू की गयी अखिल भारतीय बार परीक्षा भी पूरी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल सिद्ध हुई। राज्य बार काउंसिल के साथ नामांकित अधिवक्ता "अभ्यास का अंतरिम प्रमाण-पत्र" (2 वर्षों के लिए वैध) प्राप्त करते हैं एवं तत्पश्चात उनमें से अधिकांश अखिल भारतीय बार परीक्षा अथवा इसको उत्तीर्ण करने की चिंता किये बिना ही विधिक सेवाओं में संलग्न रहते हैं।

राज्य के शासन के साथ ही विभिन्न राज्य बार काउंसिलों तथा भारतीय बार काउंसिल, दोनों के द्वारा भारत में अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, प्रारंभ की गयीं, परन्तु इनके लाभ आज उनको भी प्राप्त हो रहे हैं जो इस पेशे को छोड़ चुके हैं।

विभिन्न न्यायालयों में विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें रखने की एक अविलंब आवश्यकता है ताकि अधिवक्ताओं द्वारा अर्जित अनुभव को महत्व तथा विश्वसनीयता प्रदान की जा सके कि किसी अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालयों में विधिक अभ्यास प्रारंभ करने से पहले उसे वास्तविक न्यायालय का अनुभव लेने के लिए निचले न्यायालयों/ट्रायल कोर्ट्स में कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए/इससे बार की दृष्टि से पूरी न्यायिक प्रणाली को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

इसलिए, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 के तहत विभिन्न राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित अधिवक्ताओं की सूची में शामिल अधिवक्ताओं पर स्थानीय बार संघों तथा भारतीय बार काउंसिल द्वारा बेहतर तथा प्रभावी प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तथा विधिक पेशा छोड़ चुके अधिवक्ताओं के नाम इससे हटाने के लिए भारतीय बार काउंसिल, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धाराओं 49(1) (ag), 49 (ah) 49(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसे प्रदत्त सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों के द्वारा निम्नांकित नियम बना था जिसका शीर्षक बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तथा नवीकरण नियम, 2014 था तथा जिसका उद्देश्य उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्यों को लागू करना था।

परन्तु कुछ जगहों पर वकीलों ने 'नवीकरण' भाव पर आपत्ति जतायी, हालांकि मूल उद्देश्य य लाइसेंस का नवीकरण न होकर विधि व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र, वकालत का स्थान व अन्य व्योरो का समय-समय पर सत्यापन करना था/है।

वकील किस संघ के सदस्य हैं, कहाँ वकालत करते हैं ? उनका पूरा पता, मेल आई-डी, पंजीकरण संख्या, किस संस्थान/वि विद्यालय से व कब स्नातक व विधि की डिग्री प्राप्त की ? इन्हीं तथ्यों की पुष्टी करना व इसका रिकार्ड रखना उक्त नियम का उद्देश्य था व है। अधिवक्ताओं का दो पासपोर्ट आकार का फोटो बार काउंसिल के पास रखना भी आवश्यक है। इसका अन्य उद्देश्य य बार काउंसिल व बार एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया में सुधार भी है, क्योंकि हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं राज्य बार काउंसिलों के सामने बार एसोसिएशन व काउंसिल के चुनावों में गड़बड़ी व कदाचार के काफी मामले सामने आये हैं, दूसरों के नाम पर मतदान की प्रक्रिया भी आयी है। चूंकि ज्यादातर वकील संघों या राज्य बार काउंसिलों के पास मृत अधिवक्ताओं की, या जिन वकीलों ने पंजीकरण के बाद कोई अन्य व्यवसाय, नौकरी या पेशा अपना लिया, उनकी सूची या रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, अतः बार काउंसिल ऑफ इंडिया (जो देश के विधि व्यवसाय एवं विधि शिक्षा की नियंत्रक है) ने राज्य बार काउंसिल के माध्यम से पूरा सत्यापन करने और तब वकीलों के हाल के फोटो के साथ मतदाता सूची, व पहचान पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है। काउंसिल ने उक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (S.C.B.A.)" के मामले में लिए गये निर्णय के आलोक में लिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी अधिवक्ताओं की पूर्ण विवरणी, सभी विधि शिक्षा संबंधी संस्थानों, विधि के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं सभी अधिवक्ता संघों की पूर्ण व अद्यतन विवरणी हेतु एक वेबपोर्टल (Web Portal) विकसित करने का निर्णय पहले ही लिया है, उक्त कार्य के लिए भी यह सत्यापन व अधिवक्ताओं की फोटो आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि कुछ अधिवक्ता संघों ने उक्त नियमों (2014 के नियमों) में प्रैक्टिस भुल्क के रूप में पाँच सौ रुपये लिए जाने पर भी अनावश्यक आपत्ति व्यक्त की (उनके अनुसार यह राशि बड़ी थी) : इस पाँच सौ रुपयों में से चार सौ रुपये वकीलों के कल्याण (जैसे वकीलों व उनके परिजनों हेतु बीमा, संघों के संसाधन में बढ़ोतरी, पुस्तकालय, पेंशन आदि) के लिए लिया जाना था। परन्तु उक्त आपत्तियों के कारण, काउंसिल ने उक्त चार सौ रुपये की कल्याण राशि को हटाने एवं अलग करने का निर्णय लिया है। अब मात्र 100/- रु. ही सत्यापन में लगाने वाले आवश्यक भुल्क की प्रक्रिया (प्रोसेस भुल्क) के रूप में लिये जायेंगे, भोश चार सौ रुपये संबंधित वकीलों व राज्य बार काउंसिल की इच्छा व निर्णय पर निर्भर करेगा। उक्त 100 रु.

में भी प्रक्रिया (Process) में लगने वाले आवयक खर्च के बाद भोश बची हुई राशि को वकील संघों के संसाधनों के विकास में ही लगाया जाना है। इस हेतु राज्य बार काउंसिलों को एक अलग बैंक खाता खोलकर, इसका लेखा जोखा रखना है प्रत्येक वर्ष इस पूरे आय व्यय का अंकेक्षण (Audit) कराकर उसकी रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया व वकील संघों को भेजनी है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह भी जानकारी मिली है कि बहुत ऐसे भी फर्जी (Fake) लोग विधि व्यवसाय कर रहे हैं जिनके पास न तो कोई विधि की डिग्री है न ही वे किसी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हैं। जैसे फर्जी लोगों पर किसी वकील संघ या राज्य बार काउंसिल का नियंत्रण नहीं है और वे इस प्रकार विवादियों व न्यायालयों को धोखा दे रहे हैं।

उसी प्रकार काउंसिल को यह भी जानकारी मिली है कि कई जगहों पर बार एसोसिएशन (वकील/अधिवक्ता संघों) के पदाधिकारीगण या वोट लेने वाले उम्मीदवार, वकील संघ या बार काउंसिल चुनावों में ऐसे लोगों का उपयोग कर सिर्फ वोट पाने की गलत मनसा से ही उन्हें सदस्य या वोटर बनाते हैं। इसी प्रकार बहुत से अधिवक्ता/वकील बार काउंसिल में पंजीकृत होने के बाद किसी अन्य धंधे, पेशे या व्यवसाय को अपना लेते हैं (यथा जमीन खरीद बिक्री का धंधा, ठेकेदारी, या अन्य व्यवसाय) व इनका कोई संबंध विधि व्यवसाय से नहीं रह जाता। ऐसे नॉन प्रैक्टिसिंग वकीलों का इस्तेमाल सिर्फ इनका वोट लेने के लिए बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों या बार काउंसिल चुनावों के कुछ उम्मीदवारों द्वारा किया जाता है। परन्तु काउंसिल ने यह महसूस किया है कि इससे विधि पेशे की गरिमा को ठेस पहुँचती है, और इस गलत प्रथा को रोकना है।

यह चिन्ता का विशय है कि कुछ वकील संघों के पदाधिकारीगण या सदस्यों ने काउंसिल द्वारा लाये गये इन सुधार के कदम का अनावयक विरोध किया, एवम् इस विरोध का एक मात्र उद्देश्य निजी स्वार्थ था/है। यदि हमें इस पेशे की गरिमा व ऊँचे स्तर को बरकरार रखना है तो हमें फर्जी (Fake) लोगों को न्यायालय परिसर से बाहर करना पड़ेगा, हमें जैसे नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेटस की पहचान करनी होगी जो किसी अन्य व्यवसाय, ठेकेदारी, नौकरी आदि में लिप्त हैं। हमें यह निश्चित करना होगा कि ऐसे वकील हमारे वकील संघों या बार काउंसिल के भाग्य का फैसला न कर सकें, या इन्हें किसी कल्याणकारी योजना का लाभ न मिले और किसी अन्य पेशे में रहते हुए इन्हें वकालत करने न दिया जाये।

उक्त कारणों से काउंसिल ने ऐसे "नॉन प्रैक्टिसिंग" व फर्जी (Fake) लोगों की पहचान करने का निर्णय लिया। काउंसिल ने यह भी निर्णय लिया कि जो भी संघ के पदाधिकारी या कोई भी अधिवक्ता यदि ऐसे फर्जी (Fake) लोगों या "नॉन प्रैक्टिसिंग" एडवोकेटस की पहचान की प्रक्रिया में जानबूझकर, अपने निजी स्वार्थवश अनावयक आपत्ति जताता है या ऐसे सुधार के प्रक्रिया का विरोध सिर्फ अपने लिए किसी चुनाव में ऐसे फर्जी (Fake) लोगों या "नॉन प्रैक्टिसिंग वकीलों" का वोट पाने की गलत मांग से करता है, इन सुधारवादी नियमों का दुश्प्रचार कर लोगों को अनावयक दिग्भ्रमित करता है तो जैसे पदाधिकारियों या वकीलों को किसी भी संघ या बार काउंसिल का चुनाव लड़ने से कुछ समय के लिए वंचित कर दिया जायेगा।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन नियमों की प्रति भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश को भी उचित कार्यवाही हेतु भेजने का निर्णय लिया है।

उक्त परिस्थितियों में व उक्त कारणों से काउंसिल ने "बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एण्ड रिनीउल रुल्स, 2014" को विलोपित कर रद्द करने का निर्णय लिया है और "बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस भेरीफिकेसन नियम, 2015" नामक नये नियम को पारित किया है व लागू करने का संकल्प लिया है।

## अध्याय I

### प्रस्तावना

#### 1. लघु शीर्षक :

इन नियमों को सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (भेरिफिकेशन) रुल्स, 2015 कहा जायेगा।

#### 2. प्रभाव क्षेत्र :

ये नियम उन सभी अधिवक्ताओं पर लागू होंगे जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अंतर्गत, राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित राज्य की अधिवक्ताओं की सूची में शामिल हैं।

#### 3. प्रारंभ होने की तिथि :

ये नियम, अध्याय-3 का नियम-7 को छोड़कर, भारत के राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रवृत्त हों, अध्याय 3 का नियम 7 उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिस तारीख में भारतीय विधिज्ञ परिशद, भारतीय राजपत्र में तारीख निश्चित करेगा।

#### 4. परिभाषाएँ :

(a) अधिनियम का मतलब है अधिवक्ता अधिनियम, 1961।

(b) अधिवक्ता का मतलब है वह अधिवक्ता जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अंतर्गत, राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित राज्य की अधिवक्ताओं की सूची में शामिल है।

(c) नामांकन का सर्टिफिकेट का मतलब है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अंतर्गत अधिवक्ता को निर्गत नामांकन का सर्टिफिकेट।

- (d) **सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस** उस अधिवक्ता के सम्बन्ध में जिसने शैक्षिक वर्ष 2010 से पहले विधिशास्त्र में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, तथा वह अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, इसका अर्थ होगा कि उसे नियम 13 के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस जारी किया जा चुका है, तथा ऐसे अधिवक्ता के सम्बन्ध में जो विधिशास्त्र शैक्षिक वर्ष 2009-2010 (1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010) में स्नातक डिग्री कर रहा हो एवं तत्पश्चात् जून, 2010 के बारहवें दिन अथवा इसके पश्चात् सूची में नामांकित हो, के लिए सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस का अर्थ है अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम के अंतर्गत जारी किया गया अथवा इन नियमों के नियम संख्या 13 के अंतर्गत निर्गत सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस, स्थिति-अनुसार।
- (e) **राज्य बार काउंसिल** का मतलब है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3(1)(a) के अंतर्गत परिभाषित (f)राज्य बार काउंसिल।
- (f) सत्यापन/प्रक्रिया भुल्क का मतलब है विधि व्यवसाय प्रमाण-पत्र व सत्यापन संबंधी सूचना आवेदन के सत्यापन-प्रक्रिया हेतु लिए जाने वाली राशि। यह राशि समय-समय पर भारतीय बार काउंसिल द्वारा परिवर्तित की जा सकती है तथा ऐसे परिवर्तनों के समय परिवर्तित राशि को शुल्क माना जायेगा।
- (g) **बार संघ** किसी विशेष क्षेत्र/कस्बे/शहर में स्थित अधिवक्ताओं का न्यायालय कार्य सम्बन्धी किसी विशिष्ट क्षेत्र/इलाके का संघ, जो या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 की अधिनियम सं XXI) के अंतर्गत पंजीकृत हो, अथवा न्यायालयों / न्यायाधिकरण / व्यक्तियों या साक्ष्य लेने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम किसी भी अन्य प्राधिकारी, जिनके समक्ष इनके सदस्य विधि प्रैक्टिस करते हों, तथा इसमें विशेष रूप से कानून के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत बार संघ शामिल हों, जैसे आयकर, कॉरपोरेट कानून, केंद्र/राज्य उत्पाद शुल्क कानून आदि तथा इनसे सम्बंधित न्यायालयों / न्यायाधिकरण / व्यक्ति, के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित इसका कोई विशिष्ट क्षेत्र/इलाका परिभाषित न हो।
- (h) **"अधिवक्ताओं की सूची"** का मतलब है अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित "सूची"।
- (i) **"प्रशासनिक समिति"** का मतलब है चुनाव के जरिए राज्य बार काउंसिल द्वारा गठित राज्य परिषद के तीन सदस्यों की समिति, जिसका गठन इन नियमों के तहत इस तरह के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किया गया हो। राज्य बार काउंसिल के कार्य भार के आधार पर एक से अधिक ऐसी समितियां हो सकती हैं।
- (j) **प्रैक्टिस न करने वाला अधिवक्ता** उस अधिवक्ता को कहा जायेगा जिसे इन नियमों की नियम संख्या 13 तथा 20.2 के अंतर्गत ऐसा घोषित किया गया हो तथा जिसका नाम नियम 20.4 के अंतर्गत प्रकाशित हो।
- (k) **फर्जी (गलत) व्यक्ति** :- फर्जी या गलत व्यक्ति का मतलब वैसे लोगों से है जो बिना कानून की डिग्री लिये या किसी राज्य बार काउंसिल में बिना पंजीकरण के स्वयम् को अधिवक्ता बताकर न्यायालयों या अन्य विधि प्राधिकरण व फोरम में विधि कार्य में लिप्त हैं और न्यायालय व विवादियों को धोखा देते हैं।
- (l) **सभी शब्द और वाक्यांश** जिनका प्रयोग इन नियमों में किया गया है, का तब तक वही अर्थ स्वीकार किया जायेगा जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रयुक्त हुआ है, जब तक कि इन शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग जिस सन्दर्भ में किया गया है, उसमें स्पष्टतः इसके विपरीत व्याख्या की गयी हो।

#### 5. "सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस" की आवश्यकता :

कोई भी अधिवक्ता अखिल भारतीय बार परीक्षा नियमों अथवा इन नियमों के अंतर्गत निर्गत एक वैध व सत्यापित सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के बिना विधिक प्रैक्टिस करने का पात्र नहीं होगा।

कुछ श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए छूट :-

एडवोकेटस एक्ट की धारा 16 के तहत नामित वरीय अधिवक्ताओं और उच्चतम न्यायालय के एडवोकेटस-ऑन-रिकार्ड (Advocates-on-Record) को सत्यापन फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। वरीय अधिवक्ताओं और एडवोकेटस-ऑन-रिकार्ड (Advocates-on-Record) को अपने अधिवक्ता संघों के माध्यम से सिर्फ अपने दो पासपोर्ट आकार के फोटो अपने नाम और वर्तमान पते के साथ संबंधित बार काउंसिल को भेजना होगा ताकि बार काउंसिल की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके। इसके लिए अलग से Form - E बना हुआ है।

प्रैक्टिस करने की यह अपात्रता तब से ही प्रवृत्त मानी जाएगी जब ऐसे अधिवक्ता/अधिवक्ताओं के नाम नियम 20.4 के अंतर्गत प्रकाशित किये जायेंगे।

### अध्याय II

#### स्थानीय बार संघ

#### 6. अधिवक्ताओं को उस बार संघ का सदस्य होना होगा जहाँ वह विधिक प्रैक्टिस करता है।

6.1 कोई अधिवक्ता, जिसने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अंतर्गत नामांकन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया हो, को आवश्यक रूप से उस बार संघ के सदस्य के रूप में पंजीकरण करना होगा जहाँ वह सामान्य रूप

से विधिक प्रैक्टिस करता है अथवा प्रैक्टिस करने की इच्छा रखता है। परन्तु यदि कोई अधिवक्ता किसी वकील संघ का सदस्य बनने की इच्छा नहीं रखता है तो उसे इस बात की सूचना संबंधित राज्य बार काउंसिल को देनी होगी तथा उसे यह बताना होगा कि वह बार काउंसिल या अधिवक्ता संघ द्वारा समय-समय पर लाये गये कल्याण संबंधी लाभ किस प्रकार लेगा। इस संबंध में राज्य बार काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा।

- 6.2 किसी मामले में यदि कोई अधिवक्ता अपने पेशे के स्थान में परिवर्तन होने के कारण अथवा विधिक क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक बार संघ को छोड़कर दूसरे बार संघ का सदस्य बनता है, उसे सभी प्रासंगिक ब्यौरों के साथ इस तरह के परिवर्तन की सूचना राज्य बार काउंसिल को, जिसका वह सदस्य है, देनी होगी।

बार संघ को छोड़ने तथा दूसरे बार संघ का सदस्य बनने की सूचना स्वतंत्र रूप से उक्त बार काउंसिल को एक महीने के अन्दर देनी होगी।

- 6.3 बार संघों को संबंधित बार काउंसिल, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर वे स्थित हैं, को इन नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। मान्यता उन बार संघों को प्रदान की जाएगी जो इन नियमों के तहत बार संघ की परिभाषा के अंतर्गत आएँगी।

### अध्याय III

- 7.1 यदि किसी राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह ज्ञात होता है व साबित होता है कि किसी वकील संघ के किसी पदाधिकारी या किसी भी अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर फर्जी ( Fake) लोगों को या वैसे लोगों को (जो किसी अन्य व्यवसाय नौकरी पेशे आदि में लिप्त हैं) बचाने या उनकी पहचान होने से रोकने की गलत में आये, निजी स्वार्थ हेतु अनावश्यक कार्य किया जा रहा है, या इन सुधारकारी नियमों का गलत में आये से दशप्रचार किया जा रहा है, या गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर गलत में आये से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर इन नियमों के लागू होने में जानबूझकर व्यवधान पैदा किया जा रहा है, तो राज्य बार काउंसिल व बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित ट्रिव्यूनल (प्राधिकरण) द्वारा ऐसे वकीलों पदाधिकारियों को वकील संघ या बार काउंसिल का चुनाव लड़ने से तीन वर्षों तक के लिए वंचित किया जा सकता है।

- 7.2 उक्त संदर्भ में कोई भी आदेश सिर्फ एक ऐसे प्राधिकरण (Tribunal) द्वारा पारित किया जा सकेगा जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ( बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत), एक वरीय अधिवक्ता व राज्य बार काउंसिल के एक वरीय सदस्य ( राज्य बार काउंसिल द्वारा मनोनीत) होंगे। माननीय अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस ट्रिव्यूनल के अध्यक्ष होंगे। किसी वकील के विरुद्ध कोई भी आदेश उसको बिना सुने हुए पारित नहीं किया जा सकेगा। अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। प्राधिकार को अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

प्राधिकार में मामले राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भेजे जायेंगे और प्राधिकार मामलों का निपटारा त्वरित करेगा। प्रत्येक राज्य बार काउंसिल हेतु अलग-अलग प्राधिकार होंगे।

- 7.3 प्राधिकार के द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित आदेश के 60 दिनों के अंदर किया जा सकेगा : हाँलाकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उचित कारणों पर विलम्ब से दाखिल किये गये अपील या पुनरीक्षण याचिका को 60 दिन की अवधि के बाद भी स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होगा।

### अध्याय IV

**सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को प्रदत्त/सत्यापन करने के सम्बन्ध में आवेदन/आदेश/आपत्ति याचिका**

8. **12 जून, 2010 को अथवा उससे पहले नामांकित अधिवक्ताओं द्वारा "सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस" प्रदान करने के लिए आवेदन :**

- 8.1 ऐसा कोई अधिवक्ता, जो विधिशास्त्र में स्नातक डिग्री शैक्षिक वर्ष 2009-2010 (1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010) में पूर्ण कर रहा हो एवं तत्पश्चात् जून 12, 2010 अथवा इसके पश्चात् अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, को अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम, 2010 के अंतर्गत "सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस" के निर्गमन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा तथा इस "सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस" के सत्यापन के लिए जिस राज्य बार काउंसिल के अधीन वह नियम 9 के अंतर्गत नामांकित है, से आवेदन करना होगा।
- 8.2 ऐसा कोई अधिवक्ता, जिसने विधिशास्त्र में स्नातक डिग्री शैक्षिक वर्ष 2010 से पहले पूर्ण की हो एवं वह अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, को इस "सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस" के निर्गमन के लिए जिस राज्य बार काउंसिल के अधीन वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, से इन नियमों के प्रवृत्त होने के/नामांकन तिथि के 6 महीने की अवधि के अन्दर आवेदन करना होगा।
- 8.3 सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के निर्गमन का प्रत्येक आवेदन फॉर्म में दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा जो इन नियमों के साथ परिशिष्ट प्रारूप A के कॉलम I और II में दिया गया है तथा जिसमें राज्य बार काउंसिल, जिसके अंतर्गत वह नामांकित है, को सभी आवश्यक सूचनाएं प्रकट करना अनिवार्य है।

8.4 ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़, प्रमाण-पत्र, कथन तथा शुल्क आदि संलग्न किये जायेंगे :-

- i. सत्यापन भुल्क के 100 (सौ रुपये) मात्र जो राशि I बैंक ड्राफ्ट/अकाउंट पेयी बैंक चेक या नगद द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों के नाम देय होगी :-
  - a. सचिव, राज्य बार काउंसिल, जिसके साथ आवेदक नामांकित है, के नाम; यह राशि I नगद भुगतान भी की जा सकेगी।
  - b. उक्त 100 की सत्यापन भुल्क में से राज्य बार काउंसिल का सचिव 20 (बीस रुपये) संबंधित वकील संघ को, 30 रुपये (तीस रुपये) बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को भेजेगा तथा भोश 50 (पचास रुपये) की राशि I राज्य बार काउंसिल के खाते में रखेगा।
- ii. इन नियमों के साथ परिशिष्ट में दिये गये फॉर्म A के कॉलम II अनुसार निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र;
- iii. पासपोर्ट आकार के दो फोटो; जिन्हें बार संघ, जिसका आवेदक सदस्य हो, के अध्यक्ष/सचिव अथवा संघ के किसी भी अन्य पदाधिकारी द्वारा, जो इस उद्देश्य के लिए बार संघ द्वारा अधिकृत हो, अथवा राज्य या भारतीय बार काउंसिल के अधिकृत सदस्य द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित किया गया हो।
- iv. फॉर्म A के कॉलम III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्यक्ष/सचिव अथवा संघ के किसी भी अन्य पदाधिकारी द्वारा, जो इस उद्देश्य के लिए बार संघ द्वारा अधिकृत हो, जिसका कि आवेदक सदस्य हो, द्वारा जारी सर्टिफिकेट, इस आशय के साथ कि आवेदक अधिवक्ता उक्त बार संघ का प्रमाणिक सदस्य है तथा उसने विधिक प्रैक्टिस छोड़ी नहीं है। इस आशय का प्रमाण-पत्र राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा अधिकृत किसी राज्य बार काउंसिल के सदस्य द्वारा भी निर्गत किया जा सकता है।

यदि आवेदक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अंतर्गत नामांकन सर्टिफिकेट के निर्गमन के समय से विभिन्न समय में अलग-अलग बार संघों का सदस्य रहा हो, ये सर्टिफिकेट उन बार संघों के अध्यक्ष/सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं जिनका कि समय-समय पर आवेदक सदस्य रहा हो।

यदि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अंतर्गत नामांकन सर्टिफिकेट आवेदन की तिथि से पाँच (5) वर्ष से अधिक समय पूर्व जारी किया गया हो, ऐसे सर्टिफिकेट को पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए ही सीमित किए जाने की आवश्यकता है।

परन्तु यदि किसी भी स्थिति में यदि साबित हो जाती है कि उक्त प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले किसी भी अधिकृत पदाधिकारी। सदस्य ने जान-बूझकर, यह जानते हुए भी कि कोई अधिवक्ता प्रैक्टिस न कर अन्य पे 1/व्यवसाय आदि में लगा है, और वैसे अधिवक्ता के पक्ष में यदि किसी अन्य अनुचित लाभ या मात्र उसका वोट लेने के उद्देश्य से ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है, तो वैसे पदाधिकारी/सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु राज्य बार काउंसिल स्वच्छन्द है।

8.5 उक्त आवेदन सभी उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आवेदक द्वारा राज्य बार काउंसिल में व्यक्तिगत रूप से उचित पावती प्राप्त करते हुए दाखिल किया जा सकता है अथवा इसे पंजीकृत डाक द्वारा सचिव को भेजा जा सकता है अथवा इसे बार संघ, जिसका कि आवेदक सदस्य हो, के जरिये भेजा जा सकता है।

#### 9. सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन के लिए आवेदन :

- 9.1 किसी अधिवक्ता को इन नियमों की धारा 13 के अंतर्गत अथवा अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम के अंतर्गत निर्गमित तथा नवीकृत सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस, पाँच (5) वर्ष के लिए वैध होगा तथा इसे प्रत्येक पाँच (5) वर्ष में, सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस की वैधता अथवा इसके सत्यापन की वैधता के समाप्त होने के छः (6) माह पूर्व अग्रिम रूप से सत्यापन का आवेदन दाखिल करके नवीकृत कराना होगा।
- 9.2 सत्यापन के ऐसे सभी आवेदन फार्म 'A' में दिए गए निर्धारित प्रारूप के विभिन्न कॉलम में प्रस्तुत किए जाएंगे जो इन नियमों के साथ परिशिष्ट में दिया गया है तथा इनके साथ वे सभी दस्तावेज़, प्रमाण-पत्र, कथन तथा शुल्क आदि लगाये जायेंगे जैसा कि नियम 8.4 के खंड (i), (ii) और (iv) में वर्णित है तथा इन्हें नियम 8.5 में वर्णित रूप से दाखिल किया जा सकता है।

#### 10. विलंब शुल्क के साथ विलंबित आवेदन :

सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन के सभी आवेदन जो कि इस नियमावली के नियम 8/नियम 9.1 के द्वारा तय समय-सीमा के पश्चात् दाखिल किये जायेंगे, उनको कार्यालय/सचिव के द्वारा विलम्ब शुल्क की राशि रुपये 100 (रुपये सौ मात्र) के बिना स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे विलंबित आवेदनों पर छः (6) माह के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।

#### 11. जुर्माने के साथ सत्यापन हेतु विलंबित आवेदन :

सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन के सभी आवेदन जो कि इस नियमावली के नियम 10 के द्वारा तय समय-सीमा के पश्चात् दाखिल किये जायेंगे, उनको कार्यालय/सचिव के द्वारा जुर्माने की राशि रुपये 50 (रुपये पचास मात्र)

प्रतिमाह, जिसकी गणना इस नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत ऐसे विलंबित आवेदन के जमा होने के माह की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी, के बिना स्वीकार एवं प्रक्रिया में नहीं लिया जायेगा, परन्तु ऐसे विलंबित आवेदनों को जमाने के प्रावधान के साथ भी छः (6) माह तक ही स्वीकार किया जा सकेगा।

## 12. अपूर्ण और दोषपूर्ण आवेदन :

ऐसी स्थिति में, जबकि प्राप्त आवेदन अपूर्ण/दोषपूर्ण हों, उक्त अधिवक्ता को कार्यालय द्वारा पत्र जारी करके ऐसी कमियों/दोषों के विषय में पंजीकृत डाक के द्वारा सूचना भेजी जाएगी तथा ऐसे आवेदनों को इन कमियों/दोषों के दूर होने के पश्चात ही प्रक्रिया में लिया जायेगा।

ऐसी कमियों/दोषों के दूर होने में लगने वाले समय को अधिवक्ता से विलम्ब शुल्क के रूप में 100 प्रतिमाह की दर से वसूल किया जायेगा, यदि इस शुल्क को पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा माफ न कर दिया जाए।

## 13. प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए आवेदन पर आदेश :

प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन की इसकी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी और यदि सबकुछ नियमानुसार पाया जाता है, तो इसे प्रशासनिक समिति के समक्ष आवेदन को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का आदेश पारित करने हेतु आवेदक की व्यक्तिगत फाइल के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

ऐसे आवेदनों को सिर्फ तब ही अस्वीकृत किया जा सकता है जब यह पाया जाये कि उक्त अधिवक्ता ने विधिक प्रैक्टिस छोड़ दी है तथा इसे भविष्य में भी जारी रखने का उसका कोई सदाशयी अभिप्राय तथा रुचि नहीं है तथा इस नियमावली के अंतर्गत ऐसे अधिवक्ता को विधिक प्रैक्टिस न करने वाला अधिवक्ता माना जाये।

इस नियम के अंतर्गत कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान न किया जाए।

## 14. आपत्ति याचिका :

14.1 एक अधिवक्ता या कोई भी व्यक्ति राज्य बार काउंसिल के समक्ष किसी अधिवक्ता/अधिवक्ताओं के नाम विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची में जोड़ने हेतु इस आधार पर आपत्ति याचिका दायर कर सकता है कि उस अधिवक्ता ने विधिक-प्रैक्टिस छोड़ दी है तथा इसे भविष्य में भी जारी रखने का उसका कोई सदाशयी अभिप्राय तथा रुचि नहीं है।

14.2 अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायतों से संबंधित भारतीय बार काउंसिल नियमावली के खंड टप्प के अध्याय I नियम A. I (1) व नियम A. I (2), मूटाटीस मूटान्डीस (यथोचित परिवर्तनों सहित), इन आपत्ति याचिकाओं पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि इन आपत्ति याचिकाओं के साथ एक रु. 1000 की सुरक्षा राशि अदा करनी होगी, तथा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायतों के लिए ऐसी किसी राशि का प्रावधान नहीं है।

14.3 ऐसे मामले में जहाँ राज्य बार काउंसिल आवेदक के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला पाती है; व इसे निर्णय हेतु प्रशासनिक समिति को भेज देगी।

14.4 राज्य बार काउंसिल की प्रशासनिक समिति इस तरह की आपत्ति का संबंधित अधिवक्ता की प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए आवेदन के साथ, यदि कोई हो, निर्णय तथा निपटान करेगी। यदि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं हो, तो इस प्रकार की आपत्ति याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाएगा।

इस नियमावली के अंतर्गत कार्यवाई पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायतों से संबंधित प्रक्रिया, मूटाटीस मूटान्डीस (यथोचित परिवर्तनों सहित), ही लागू होगी।

14.5. उस मामले में जहाँ शिकायत पीड़ित करने वाली, उपयोगशून्य तथा बुरी नीयत से की गयी पायी जाती है, आपत्ति याचिका के साथ अदा की गयी रुपये 1000 की सुरक्षा राशि राज्य बार काउंसिल द्वारा ज़ब्त कर ली जाएगी।

14.6 प्रशासनिक समिति को उक्त किसी भी आपत्ति संबंधी याचिका को उसके प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर निपटारा करना होगा।

स्प टीकरण—यदि कोई अधिवक्ता यह साबित कर पाता है कि इन नियमों के लागू होने के पहले उसने प्रत्येक वर्ष में एक बार भी किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य फोरम के समक्ष वकालत नामा दाखिल किया है या उपस्थिति दर्ज की है, तो उस अधिवक्ता को वकालत पे 1 में (Practicing Advocate) माना जायेगा।

## अध्याय V

## अनुवर्ती कार्रवाई

15. नियम 13 के अंतर्गत पारित आदेश के लिए अनुवर्ती कार्रवाई :

- 15.1 सत्यापित सर्टीफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस को जारी करनेके आवेदन को नियम 13 के अंतर्गत स्वीकृत करने के पश्चात तत्कालय राज्य बार काउंसिल का कार्यालय सत्यापित फॉर्म 'B' सर्टीफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिसको दो प्रतियों में राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अथवा राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिकृत किसी अन्य सदस्य के द्वारा, विधिवत हस्ताक्षर के साथ तैयार करेगा।
- 15.2 सर्टीफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस (सत्यापित) की एक प्रति संबंधित अधिवक्ता को बिना किसी देरी के पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी तथा दूसरी प्रति अधिवक्ता की व्यक्तिगत फाइल में लगा दी जाएगी। फोटो के साथ एक पहचान-पत्र भी निर्गत किया जा सकेगा, जो सर्टीफिकेट के निर्गत होने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि मान्य होगा।
- राज्य बार काउंसिल या अधिवक्ता संघों के चुनाव में मतदान के समय पहचान-पत्र अनिवार्य होगा। उक्त पहचान-पत्र राज्य बार काउंसिल द्वारा, इस संबंध में बनाये गये नियमों के तहत जारी किया जायेगा।
- 15.3 राज्य बार काउंसिल, सारी जानकारी से युक्त एक अलग डिस्पैच रजिस्टर रखेगा जिसमें सत्यापित सर्टीफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिसके सभी विवरण, नामांकन के मूल प्रमाण-पत्र तथा आयु, जन्म-तिथि और पते के साथ अधिवक्ता के पूर्ण विवरण होगा।
- इस रजिस्टर को राज्य परिषद् द्वारा निर्धारित तरीके से वर्ष-वार रखा जाएगा।
- 15.4 प्रत्येक राज्य बार काउंसिल नियम 15.3 के अंतर्गत प्रतिवर्ष रखे गए रिकॉर्ड की एक प्रमाणीकृत सॉफ्ट कॉपी बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को भेजेगा।

## अध्याय VI

## आदेश U/R 13 के तथा आवेदन करने में विफलता के परिणाम

16. नियम 13 के अंतर्गत आवेदन की अस्वीकृति का परिणाम :

नियम 13 के अंतर्गत आवेदन की अस्वीकृति की स्थिति में नियम 20.4 द्वारा निर्धारित परिणामों का पालन होगा।

17. नियम 7 से 11 द्वारा निर्धारित आवेदन करने में विफल होने के परिणाम :

कि यदि एक अधिवक्ता सर्टीफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन के लिए आवेदन करने में असफल होता है, जैसा नियमों 8 से 11 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, वैसी अवधि/विस्तृत अवधि के भीतर, या अगर वह अपने आवेदन में कमियों/त्रुटियों को हटाने में असफल होता है, नियम 12 के अंतर्गत 6 महीने की अवधि के लिए सूचना दिये जाने के बावजूद, तो यह प्रत्यक्षतः अनुमान कर लिया जायेगा कि ऐसा अधिवक्ता विधिक प्रैक्टिस छोड़ चुका है और इसे भविष्य में भी जारी रखने का उसका कोई प्रमाणिक अभिप्राय तथा रुचि नहीं है।

18. नियम 17 की सीमा में तथा दोषी अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन के भीतर आने वाले अधिवक्ताओं, जो उत्तर देने में असफल होते हैं, के विरुद्ध अनुवर्ती कार्यवाही :

- 18.1 कि राज्य बार काउंसिल का ऑफिस, ऐसे दोषी अधिवक्ता/ओं की सूची बनायेगा, जो सर्टीफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन का आवेदन करने में विफल रहे हैं, ऐसी अवधि/विस्तृत अवधि के भीतर, जो इन नियमों द्वारा प्रदान किए गए अथवा 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सूचना दिए जाने के बावजूद अपने आवेदनों में से कमियों/त्रुटियों को हटाने में असफल हुए हैं।

इस सूची को दोषी अधिवक्ताओं की सूची का शीर्षक दिया जा सकता है।

- 18.2 ऐसे सभी अधिवक्ताओं को जिनके नाम दोषी अधिवक्ता सूची में सम्मिलित किये गए हैं, इस तथ्य की यथोचित सूचना दी जायेगी कि उनके नाम उपर्युक्त सूची में सम्मिलित हैं तथा इस सूची की अगली सूचना निम्नलिखित ढंग से भी दी जायेगी।

- ऐसी सूची की एक कापी बार काउंसिल के ऑफिस के बाहर प्रदर्शित की जायेगी;
- ऐसी सूची की कापियाँ ऐसी डिस्ट्रिक्ट बार संघ/संघों को भी भेजी जाएँगी, जिनके सदस्य ऐसे अधिवक्ता उनके द्वारा अंतिम बार जाहिर किये गये पते के अनुसार हैं, तथा साथ ही, सम्बद्ध उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय बार संघ को भी भेजी जाएँगी।
- एक सूचना-पत्र कि उसका नाम ऐसी सूची में सम्मिलित है, दोषी अधिवक्ता को भी उसके द्वारा अंतिम बार जाहिर किये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक के अंतर्गत भेजी जायेगी।
- यह सूची विधि के अनुसार राज्य बार काउंसिल द्वारा भी प्रकाशित की जाएगी।



**19. नियम 18 के अंतर्गत प्रकाशन के बाद विलंबित आवेदन :**

यदि नियम 18 के खंड (IV) के अंतर्गत पूर्वकृत दोषी अधिवक्ता की सूची के प्रकाशन के 6 महीने की अवधि के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन के लिये एक आवेदन राज्य बार काउंसिल द्वारा प्राप्त होता है, यह ऐसे विलंबित शुल्क तथा जुर्माने के साथ होगा, जैसे इन नियमों के नियम 10 से 12 द्वारा उल्लिखित हैं।

ऐसे सभी आवेदन ऑफिस द्वारा नियम 10 से 12 द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार संसाधित किये जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे आवेदनों पर नियम 13 के अंतर्गत आदेश प्राप्त किये जायेंगे तथा इन नियमों के अनुसार ऐसे आदेश को अमल में लाया जायेगा।

**20. उत्तर देने में असफल होने तथा विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन के परिणाम :**

20.1 कि यदि इन नियमों के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन का कोई आवेदन नहीं किया गया है अथवा यदि एक आवेदन फाइल किया गया है परन्तु नियम 17 के अनुसार त्रुटियाँ नहीं हटाई गई हैं, तो इन नियमों के उद्देश्यों के लिए यह अनुमान कर लिया जायेगा कि ऐसा अधिवक्ता विधिक प्रैक्टिस छोड़ चुका है तथा इसे भविष्य में भी जारी रखने का उसका कोई प्रामाणिक अभिप्राय तथा रुचि नहीं है।

20.2 कि ऐसे दोषी अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन के 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर राज्य बार काउंसिल एक आदेश जारी करेगा, यह निर्देश देते हुए कि दोषी अधिवक्ताओं की सूची में आने वाले ऐसे अधिवक्ता/ओं के नाम/नामों को विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता की सूची में डाल दे।

20.3 कि विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता सूची की यथोचितसूचना निम्नालिखित को दी जायेगी :—

- i. ऐसी सूची की एक कॉपी बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को तथा सभी अन्य राज्य बार काउंसिल को भेजी जायेगी।
- ii. इस सूची की एक कॉपी राज्य बार काउंसिल की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अवस्थित सभी न्यायालयों को भेजी जायेगी तथा सम्बंधित उच्च न्यायालय को भी भेजी जायेगी। तथा एक प्रति सर्वोच्च न्यायालय को भी भेजी जायेगी।
- iii. ऐसी सूची की कापियाँ उन डिस्ट्रिक्ट बार संघों को भी भेजी जाएँगी, जिनके सदस्य अधिवक्ता स्वयं द्वारा अंतिम बार घोषित किये गये पते के अनुसार हैं, तथा साथ ही, सम्बद्ध उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय बार संघ को भी भेजी जायेंगी;

20.4 विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं तथा उन अधिवक्ताओं के नाम जिनके सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन का आवेदन नियम 13 के अंतर्गत अस्वीकृत घोषित है, की सूची भी विधि के अनुसार राज्य बार काउंसिल द्वारा प्रकाशित की जायेगी, जबकि ऐसी सूची/नाम बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा स्वीकृत हों।

**21. विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता जो विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता सूची में सम्मिलित हैं, विधिक प्रैक्टिस करने के अधिकारी नहीं हैं तथा अन्य विशेषाधिकारों तथा अधिकारों के अधिकारी नहीं हैं :**

21.1 विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की उपर्युक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से ऐसे सभी अधिवक्ता जिनके नाम उपर्युक्त सूची में सम्मिलित किये गये हैं, किसी भी न्यायालय, किसी भी ट्रिब्यूनल अथवा प्रमाण लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति तथा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसके आगे ऐसा अधिवक्ता किसी भी विधि के द्वारा अथवा अंतर्गत, जो फिलहाल लागू हो, प्रैक्टिस करने का अधिकारी हो, उपस्थित होने के अधिकारी नहीं हैं, इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे अधिवक्ताओं के नाम स्टेट सूची में प्रवेश किया/ये गये हैं तथा वह अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत नामांकन का सर्टिफिकेट धरे हुए है।

आगे, राज्य बार काउंसिल के चुनावों के उद्देश्यों के लिए ऐसे अधिवक्ता/ओं के नाम चुनावी सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। तथा आगे, बार संघों के किसी भी चुनाव में वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे।

ऐसे अधिवक्ता/ओं की हैसियत से भाग लेने तथा लाभ पाने की प्रतिष्ठा तथा अधिकार, जो बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत है, जो चौप्टर 2, जो कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के भाग VI में हैं, के धारा IV-I के नियम 40 से 44 V के अंतर्गत है, तथा स्टेट आर काउंसिल द्वारा जारी की गई अन्य योजनाएँ, नियम 20.4 के अंतर्गत विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची/नाम के प्रकाशन की तारीख से समाप्त हो जायेंगे, इस को छोड़कर कि ऐसा अधिवक्ता प्रासंगिक योजना/ओं के अंतर्गत ऐसे लाभों, यदि कोई है, जो पहले से ही उसके पक्ष में दिये जा चुके हैं, को पाने का अधिकारी होगा।

**अध्याय VII****विधिक प्रैक्टिस करने वाले तथा न करने वाले  
अधिवक्ताओं के रिकॉर्ड का अद्यतन करना****22. विधिक प्रैक्टिस करने वाले तथा न करने वाले अधिवक्ताओं से संबंधित रिकॉर्ड :**

- 22.1 कि नियम 20.4 के अंतर्गत ऐसे अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन में उपर्युक्त ढंग से विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान की प्रारंभिक प्रक्रिया के समापन पर राज्य बार काउंसिल ऐसे अधिवक्ताओं का सभी विशेष जानकारियों के साथ जैसे नाम, पता, जन्म की तारीख, नामांकन की तारीख, नामांकन संख्या, सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन के लिए आवेदन की, और यदि है, तो उसकी अस्वीकृति की विशेष जानकारी, अलग से रिकॉर्ड बनायेगा तथा उसे बरकरार रखेगा यह रिकॉर्ड नियमित रूप से अद्यतन किया जायेगा।
- 22.2 प्रत्येक राज्य बार काउंसिल बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को हर साल, रिकॉर्ड की एक प्रमाणित सॉफ्ट कॉपी, जैसा नियम 22.1 के अंतर्गत निर्वाह किया गया हो, भेजेगा।
- 22.3 वैसे सभी वकील जिनके सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस का सत्यापन हो जाता है, को राज्य बार काउंसिल द्वारा एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जिसमें उक्त अधिवक्ता का एक फोटो रहेगा एवं प्रमाण पत्र के—वैध/मान्य (validity) फॉर्म 'B' रहने की अवधि अंकित रहेगी। इसी प्रकार का एक फोटो पहचान पत्र भी निर्गत किया जायेगा, फॉर्म 'D' जिसे अधिवक्ता किसी भी न्यायालय या अन्यत्र वकालत करते समय अपने पास रखेगा ताकि आवेदन पत्र पढ़ने पर या किसी न्यायिक पदाधिकारी, वकील, पक्षकार या किसी नागरिक के द्वारा माँगे जाने पर वह व्यक्ति यह साबित कर सके कि वह एक वकील है।

**23. राज्य बार काउंसिल की चुनावी सूचियों को चुनावों के उद्देश्य से अद्यतन करना :**

नियम 20.4 के अंतर्गत विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन पर तथा नियम 22.2 के अंतर्गत ऐसे रिकॉर्ड की एक कॉपी बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को भेजने के बाद, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के अध्याय I, भाग—III के अंतर्गत राज्य बार काउंसिल, राज्य बार काउंसिल के चुनावों के लिए चुनाव सूची की तैयारी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। कोई भी राज्य बार काउंसिल चुनावी सूची की तैयारी अथवा राज्य बार काउंसिल के चुनावों का संचालन करने का उपक्रम तब तक नहीं करेगा जब तक कि इन नियमों के अंतर्गत विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं के प्रमाण—पत्र की सत्यापन व उसके वकील होने की पहचान की प्रक्रिया नियम 20.4 के अंतर्गत उनके नामों के प्रकाशन द्वारा समाप्त नहीं होती।

बशर्ते कि राज्य बार काउंसिल, जहाँ इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर अधिनियम की धारा—8A के अंतर्गत पहले से ही एक स्पेशल कमेटी/कमेटियाँ कार्यरत है/हैं, वर्तमान नियमों के अंतर्गत चलती रहेंगी जैसे कि ये नियम लागू ही नहीं किये गये हों। ऐसे राज्य बार काउंसिल में ये नियम केवल तभी लागू होंगे जब चुनावों के परिणामों के घोषित/प्रकाशित होने के पश्चात् नये राज्य बार काउंसिल का गठन किया गया हो।

राज्य बार काउंसिल द्वारा इन नियमों को अविलम्ब लागू करने हेतु विभिन्न कमेटियाँ बनायी जानी है। यदि कोई भी राज्य बार काउंसिल इन नियमों को लागू करने या सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के सत्यापन करने में जान-बूझकर अनावेक किसी प्रकार की विधिलता बरतता है, तो बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया स्वयम् अपने स्तर से अधिवक्ता अधिनियम 1691 के तहत कार्यवाई कर सकेगा।

**अध्याय VIII****अपील, पुनरीक्षण आदि****24. अपील ट्रिब्यूनल :**

- 24.1 प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से सम्बंधित इन नियमों के अंतर्गत इन अपीलों के निपटान के लिये एक अपील ट्रिब्यूनल होगा तथा ऐसा ट्रिब्यूनल निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा :—
- बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियम 44A(2)(i) के अंतर्गत भाग—VI, अध्याय—II, धारा—(VI—A) के अंतर्गत राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने गये राज्य बार काउंसिल के दो सदस्य।
  - राज्य बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जाने वाले प्रबंधक कमेटी के सदस्यों में से राज्य बार काउंसिल का एक सदस्य तथा सम्बंधित राज्य बार काउंसिल से सदस्य, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा नामांकित एक अन्य सदस्य।
  - सम्बंधित राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया का सदस्य जो उसका अध्यक्ष होगा;
- 24.2 कि अपील ट्रिब्यूनल की निर्दिष्ट संख्या तीन सदस्य होगी परन्तु कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि अपील ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष उसका समर्थक न हो।

**25. नियम 13/नियम 20.2 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश के विरुद्ध अपील :**

यदि एक अधिवक्ता के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के सत्यापन के आवेदन को इन नियमों के नियम 13 के अंतर्गत अस्वीकृत किया जाता है/या एक अधिवक्ता का नाम राज्य बार काउंसिल द्वारा विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता की सूची में नियम 20.2 के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने का आदेश दिया जाता है, नियम 20.4 के अंतर्गत व्यथित पार्टी, आदेश जारी करने अथवा विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन के 60 दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील ट्रिब्यूनल से एक अपील कर सकता है परन्तु अपील फाइल करने में विलम्ब को अनदेखा किया जा सकता है, यदि ऐसे विलम्ब का उपयुक्त कारण दिखाया जाये।

ऐसी प्रत्येक अपील विवादित आदेश की एक अभिप्रमाणित कॉपी सहित दाखिल होगी। अपील को स्वीकार तथा उस पर ध्यान तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह 200 रुपये के शुल्क के साथ, जो कि बैंक ड्राफ्ट/अकाउंट पेयी बैंक चेक, जो सम्बंधित राज्य बार काउंसिल के सचिव, राज्य बार काउंसिल के पक्ष में है, के रूप में न हो।

200 रुपये की राशि में से सचिव, राज्य बार काउंसिल 50 रुपये की राशि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खाते में भेज/जमा कर देगा तथा इन नियमों के अंतर्गत बार संघ के प्रोत्साहन के लिए कोष के नाम से जाने हुए कोष में 50 रुपये की राशि दे दी जायेगी।

ऐसी प्रत्येक अपील ट्रिब्यूनल द्वारा सुनी जायेगी, जो जैसा उपयुक्त लगे, वैसा आदेश इस पर जारी कर सकता है।

**26. नियम 13 तथा नियम 19.2 के अंतर्गत आदेश के संचालन पर रोक :**

नियम 13 तथा 20.2 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश के विरुद्ध केवल अपील फाइल करने से जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है उसके संचालन पर रोक नहीं लगेगी जब तक कि अपील ट्रिब्यूनल द्वारा जो उचित लगे, ऐसे प्रतिबंधों के आधार पर उसके संचालन पर रोक न लगायी जाये।

**27. पुनरीक्षण की क्षमता :**

27.1 बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी समय इन नियमों के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड का बुलावा दे सकता है, जो राज्य बार काउंसिल या अपील ट्रिब्यूनल द्वारा निपटा दिए गए हैं, तथा जिनमें से कोई अपील नहीं रहती, ऐसे आदेश अथवा निपटान की वैधता अथवा औचित्यता के सन्दर्भ में स्वयं की संतुष्टि के उद्देश्य के लिये तथा जैसा उचित लगे, इनसे संबंधित आदेश जारी कर सकता है।

यह संशोधन BCI नियमों के अभ्यास IX, भाग-II अर्थात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के धारा 48। के अंतर्गत होगा।

27.2 कोई आदेश, जो किसी अधिवक्ता को पूर्वाग्रह रूप से प्रभावित करे, इस नियम के अंतर्गत जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने का एक अवसर न दिया जाये।

**अध्याय IX****प्रैक्टिस का पुनरारंभ****28. प्रैक्टिस का पुनरारंभ :**

28.1 यदि एक अधिवक्ता जिसका नाम नियम 20.4 के अंतर्गत प्रकाशित विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची में सम्मिलित किया गया है, बदली हुई परिस्थितियों में विधिक प्रैक्टिस का पुनरारंभ करना चाहता है, वह राज्य बार काउंसिल को आवेदन दे सकता है कि उसका नाम ऐसी सूची में से निकाल दिया जाये।

28.2 पुनरारंभ के लिए आवेदन, फॉर्म 'C' में 2,000 रुपये के पुनरारंभ शुल्क तथा फॉर्म एफ/फ में घोषणा पत्र के साथ किया जायेगा।

ऐसा आवेदन बार संघ, जिसका सदस्य अधिवक्ता विधिक प्रैक्टिस करने के लिये बनना चाहता है, के सभापति/सचिव द्वारा जारी किये गये फॉर्म 'B' के कॉलम III में एक सर्टिफिकेट द्वारा समर्थित होगा।

28.3 राज्य बार काउंसिल पुनरारंभ के लिये ऐसे आवेदन को प्रशासनिक कमिटी के सुपुर्द करेगा, जो आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए उचित आदेश जारी कर सकता है, बशर्त ऐसी आवेदन केवल तभी मान्य होगा यदि प्रशासनिक कमिटी संतुष्ट होती है कि आवेदक का विधिक प्रैक्टिस पुनरारंभ करने का अभिप्राय प्रामाणिक है।

28.4 ऐसे मामले में कि पुनरारंभ स्वीकार किया जाता है, आवेदक का नाम विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची में से निकाल दिया जायेगा तथा नियम 20.3 के विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची की हैसियत से ऐसे अपवर्जन की यथोचित सूचना दी जाएगी तथा प्रकाशित की जायेगी।

28.5 कि नियम 28.4 के अंतर्गत प्रकाशन की तारीख से नियम 21 के अंतर्गत आवेदक द्वारा भुगती गयी सभी असमर्थताएँ अस्तित्व में नहीं रहेंगी परन्तु वह किसी भी ऐसे लाभ/विशेष अधिकार का अधिकारी नहीं होगा, जो

उसे नियम 21 के अंतर्गत अस्वीकार कर दी गयी थी, उस अवधि के लिये जिसमें उसका नाम विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची में था।

### **अध्याय X**

#### **सत्यापन प्रक्रिया कोष**

#### **29. सत्यापन प्रैक्टिस कोष :**

- 29.1 इन नियमों के अंतर्गत बैंक ड्राफ्ट/चेक या नगद राशि सचिव, राज्य बार काउंसिल के नाम से जमा किये जायेंगे। राज्य बार काउंसिल इससे संबंधित आयव्यय हेतु एक अलग बैंक खाता खोलेगी जो अध्यक्ष व सचिव द्वारा संचालित किया जायेगा।
- 29.2 कि "राज्य बार काउंसिल प्रैक्टिस कोष खाता" राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। उसी प्रकार, "BCI प्रैक्टिस कोष खाता" BCI अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।
- 29.3 कि इस प्रैक्टिस कोष का अलग से ऑडिट ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया जायेगा जिन्हें राज्य बार काउंसिल तथा उनके संबंधित अकाउन्ट्स की योग्यता से BCI द्वारा नियुक्त किया गया हो।
- 29.4 कि इन नियमों के अंतर्गत इकट्ठा की गयी समस्त धनराशि को केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा :-
- (a) इन नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक तथा अन्य व्ययों का भुगतान करना;
- (b) विभिन्न बार संघ में केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए योगदान देना :-
- i. विधिक पुस्तकालयों को स्थापित करना तथा सुधार लाना।
- ii. बार संघ के परिसर, जो अधिवक्ताओं के सामान्य प्रयोग के लिये आरक्षित है, में बुनियादी ढाँचे में सुधार तथा ऐसे ही अन्य योगदान करना जिससे तालुक, डिस्ट्रिक्ट, उच्च न्यायालय, तथा उच्चतम न्यायालय के स्तर पर बार संघ को प्रोत्साहन तथा सुदृढ़ता दी जा सके, जैसा उचित प्रतीत हो।
- iii. अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रोत्साहित करना। ऐसी कल्याणकारी योजनाओं में अधिवक्ताओं तथा उनके परिवार में निर्भर सदस्यों से सम्बंधित सभी प्रकार की बीमाय पेंशन योजनायें, जूनियर तथा निःशक्त अधिवक्ताओं के लिये वजीफा, अधिवक्ताओं की निरंतर विधिक शिक्षा/प्रशिक्षण सम्मिलित हो सकती है।

### **अध्याय XI**

#### **विविध**

#### **30. कठिनाइयों का निवारण :**

ऐसे मामले में जब इन नियमों के अर्थ, व्याख्या, क्रियान्वयन को लेकर कोई संदेह अथवा मतभेद उत्पन्न हो, अपील ट्रिब्यूनल इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्तिम प्राधिकारी होगा तथा उन पर इसके निर्णय अंतिम होंगे।

#### **31. नियंत्रक क्षमतायें :**

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का राज्य बार काउंसिल के लिए समय-समय पर ऐसे नियंत्रकों को जारी करने का अधिकार होगा जो इन नियमों के उचित परिपालन तथा क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है तथा ऐसे नियंत्रक राज्य बार काउंसिल के मूल विषय और भावना का पालन करेंगे जिससे समस्त देश में इन नियमों के अनुप्रयोग में समरूपता बनी रहे।

#### **32. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तदर्थ कमेटियाँ बनाने की क्षमता :**

ऐसे मामले में जब किसी राज्य बार काउंसिल के चुने हुए सदस्यों के कार्यकाल का इन नियमों के अंतर्गत विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान होने की प्रक्रिया के विलंबित होने के कारण समाप्त हो जाने की सम्भावना है अथवा राज्य बार काउंसिल के चुनावों के लिए चुनावी सूची की तैयारी में विलम्ब होने के मामले में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक तदर्थ कमेटी बनाएगा, जिसमें राज्य बार काउंसिल के निर्धारित संख्या में सदस्य होंगे, जिससे राज्य बार काउंसिल सुचारू रूप से कार्य करे तथा उपर्युक्त प्रक्रिया का शीघ्रगामी क्रियान्वयन हो। राज्य बार काउंसिल की यह तदर्थ कमेटी अधिनियम के सेक्शन 8A के अंतर्गत बने स्पेशल कमेटी के अंतर्गत कार्य करेगी जब तक राज्य बार काउंसिल के चुनावों की प्रक्रिया के उद्देश्य के लिये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अध्यास-I, भाग-III के अनुसार चुनावी सूची की तैयारी की प्रक्रिया पूरी न हो जाये।

**33. बचाव खंड**

सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के स्वरूप जैसा कोई भी सर्टिफिकेट, जैसा इन नियमों में परिभाषित है तथा इनसे नवीकरण/सत्यापन (राज्य बार काउंसिल द्वारा कोई भी नाम/ढंग अथवा रूप द्वारा इन्हें जारी/प्रदान किया गया हो), जो किसी राज्य बार काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया तथा राज्य बार काउंसिल द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही/आदेश जारी किया गया, इन नियमों के लागू होने से पहले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एण्ड रिनीउवल्स रूल्स 2014 के तहत की गयी कार्यवाही का परिणाम इस नियम के जारी होने की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए निरंतर वैध रहेगा परन्तु इस अवधि के समाप्त होने पर, राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी किये गए ऐसे सर्टिफिकेट/लाइसेंस का इन नियमों के अंतर्गत सत्यापन कराया जाना आवश्यक है।

**34. किसी राज्य बार काउंसिल अथवा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये/बनाये गए सभी प्रस्तावों/नियमों का रद्द होना।**

जिस दिन से ये नियम लागू हुए हैं, किसी राज्य बार काउंसिल अथवा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया/बनाया गया कोई भी प्रस्ताव/नियम, जो इन नियमों के साथ असंगत है, रद्द माना जायेगा।

**35. इन 2015 के नियमों के लागू होने के पूर्व में "बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एण्ड रिनीउवल्स रूल्स 2014", के तहत यदि किसी भी राज्य बार काउंसिल ने किसी अधिवक्ता से 500/- रुपये या 200/- रुपये की राशि वसूल की है तो उक्त रुपये में से मात्र 100/- रुपये की राशि को काटकर बाकी की रकम संबंधित अधिवक्ता को वापस कर दी जाये, अन्यथा 100/- रुपये से अधिक वसूल की गयी राशि का उपयोग उक्त अधिवक्ता की सहमति से उसके और उसके परिवार या वकीलों के कल्याण (यथा बीमा योजना, पेंशन योजना आदि) संबंधी उद्देश्यों से की जायेगी। इस संबंध में निर्णय संबंधित राज्य बार काउंसिल को संबंधित अधिवक्ता की सहमति लेनी होगी।**

सत्यापित प्रमाणपत्र मिलने के बाद कोई भी अधिवक्ता देना के किसी भी न्यायालय/प्राधिकार या अन्य फोरम के समक्ष एडवोकेट्स एक्ट की धारा 30 के तहत उपस्थित होकर वकालत कर सकता है, परन्तु उक्त उपस्थिति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा लगाये गये भातों की पूर्ति के साथ ही हो सकेगी।

जे. आर. तर्मा, सचिव

[विज्ञापन— III / 4 / असा. / 96 / 14]

**BAR COUNCIL OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2015

**Extracts of the minutes of the meeting of General Council of Bar Council of India held on 29th/30th November, 2014.****Item No. 330/2014**

The Council considered the Draft Rules with regard to verification of Certificate and Place of Practice of Advocates and to repeal the Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014 and passed the following resolution:

**Resolution No. 216/2014**

(e) The Council resolves to modify the Resolution No. 169 of 2014 (Item No. 276/2014) dated 17<sup>th</sup> October, 2014. The Council further resolves that Draft Rules with regard to Verification of Certificate and Place of Practice submitted by the sub-Committee be and is hereby approved. These new Rules shall be named as Bar Council of India Certificate and place of Practice (Verification) Rules 2015 depending on the year of its publication in the Gazette of India) and it shall come into force from the date of its publication in the Gazette of India. The Council further resolves to repeal Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014, accordingly the Bar Council of India Certificate of Practice Renewal Rules, 2014 stand repealed.

(f) Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules have been framed in exercise of powers conferred on Bar Council of India by section 49(1)(ag), 49(ah) and 49(i) of the Advocates Act, 1961 and in exercise of powers under Part-V Chapter 1, Rule 1(1) & 2 and Rule 2 of Bar Council of India Rules, Chapter III sub Rule 3, 4 and Part-IX Rule 17, 18(h), 20, 22, 24 of Bar Council of India Rules.

**Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015.****Statement of objects and reasons:**

The legal profession is an Honorable one and it has critical role to play in protecting and promoting the Civil and Constitutional rights of the people. An independent and fearless Bar is vital and crucial for

sustaining and promoting a true and healthy democracy. The Bar which is subject to manipulation and influence from extraneous powers, howsoever mighty and esteemed they may be, cannot do justice either to the Legal Profession or to the Rule of Law. Bench and Bar are the two wheels of a chariot and one cannot function without the other. Sadly, this profession has fallen under a cloud.

In the Joint Meeting of the representatives of all State Bar Councils and Bar Council of India, concerns were raised by all that trend of Advocates switching over to other professions/services/business without any information to the State Bar Council has reached alarming proportions. This trend is endangering the legal profession as a whole. It has also made a dent in its sanctity and standards. Names of such advocates continue to be included in the “Roll of advocates” being maintained by the State Bar Councils, notwithstanding the fact that they have left the legal profession or have since died. Though under section 19 of the Advocates Act, the State bar Councils are under legal obligation to send a copy of the Roll of advocates prepared by it under section 17 of the Act and subsequent alterations/additions thereto but practically no state bar Council has observed this mandatory provision of the Act up till now.

Under these circumstances it appears that a definite trend is visible that the control of Bar Associations and of other elected bodies under the Advocates Act is slipping out of the hands of the advocates who practice law. It is also being experienced that after certificate of enrolment is issued to an advocate, practically no communicative and continuing contact survives between him and the Council.

Under the existing state of affairs, All India Bar Examination introduced on the directions/observations of the Supreme Court of India to improve the standard of legal profession has also failed to fully achieve its objective. Advocates enrolled with the State Bar Councils obtain “Provisional Certificate of Practice” (valid for 2 years) and thereafter most of them are practicing Law without caring to appear for All India Bar Examination and to pass it.

Various welfare schemes for advocates have been floated in India both under State Legislations as well as under various welfare schemes framed by different State Bar Councils and by Bar Council of India but benefits thereunder are being enjoyed by those also who have left the profession.

There is also an urgent need for laying down some conditions for practicing law in different Courts so as to give due weightage and credence to experience. Before an advocate could practice law in higher Courts, there is need that he is exposed to real court experience in lower Courts/trial Courts. This will help in integrating the whole judicial system from the perspective of the Bar.

Therefore, in order to achieve better and effective administrative and disciplinary control of the local Bar Associations, State Bar Councils and the Bar Council of India over the advocates entered on the Rolls of advocates being maintained by different State Bar Councils under section 22 of the Advocates Act and further in order to weed out advocates who have left practice, the Bar Council of India, in the exercise of powers conferred on it by Section 49(1) (ag), 49 (ah) 49(i) of the Advocates Act, 1961 and by all other enabling and residuary powers vested in it, had brought the rules titled “ Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014” for the purposes of carrying into effect the provisions and objectives of the Act:-

But in some of the places, the Advocates raised objection with regard to the word Renewal, though in fact it is not the renewal of enrolment, rather it aimed at periodical verification of the details of an Advocate already enrolled with some State Bar Council. The aim was/is only to verify the place where the Advocate normally practices, the Bar Association of which he is a member (if any), the address/email id, enrolment number/year, the Institutions from which the Advocate has passed his Graduation and LL.B. The purpose is the maintenance of record of all the Advocates of the country; two passport size photographs of Advocate was/is also required to be furnished to the State Bar Council. The other object was/is also to introduce certain electoral reforms in the Bar Council/Bar Association elections, because in recent past, the Bar Council of India and the State Bar Councils have come across the cases of rigging in the polls and the allegations of bogus voting has now become frequent, since the State Bar Councils and/or majority of Bar Associations of the country have no record of the Advocates who died after enrolment or who joined other jobs, business or professions; the Bar Council of India being the regular of Legal profession and Legal education of the country has, therefore, decided to undertake the detailed verification and then to prepare a Voters’ List alongwith recent photographs of the Advocate (Voter). The Council has framed these Rules in the light of the verdict of Hon’ble Apex Court in the case of Supreme Court Bar Association. The Bar Council of India has already decided to develop the web-portal for this purpose to have full details of all the Advocates of the country, all the Institutions imparting Legal Education, details of Law students, the Law

Teachers and details of all the Bar Associations. The detailed information and photograph is necessary for that purpose also. Furthermore, since some of the Bar Associations have raised baseless objection with regard to the sum of Rs. 500/- as Practice Fee (as per them it is a heavy amount); the major portion (about Rs.400/-) of this Rs. 400/- was aimed (in 2014 Rules) for providing welfare schemes (like Insurance for Advocates and their family members and improvement of infrastructure and Library of Bar Associations, Pensions etc.) But due to objection, now the Council has resolved to segregate this amount of Rs. 400/- for welfare-schemes from the process fee of verification. Now only Rs.100/- is to be charged from the Advocates as Process fee and rest of Rs. 400/- would be optional not mandatory, depending upon the decision of concerned State Bar Council and the concerned Advocate. Even from this process fee of Rs. 100/-, besides the expenditure incurred for undertaking the work of verification, the State Bar Council, Bar Associations and Bar Council of India are required to spend the rest of the amount for the improvement of infrastructures of Associations only. State Bar Councils shall be required to open and maintain a separate Bank Account for this purpose which would be audited every year. The report of Audit shall be sent to Bar Council of India and the Bar Association soon after the submission of report.

The Bar Council of India has also come to know that a number of fake (farzi) persons (without any Law Degree or enrolment certificate) are indulged in Legal practice and are cheating the Litigants, courts and other stake-holders; and neither the Bar Associations nor the concerned State Bar Councils have any control over such fake persons. Shockingly, it has come to the notice of the Council that at some places, the office-bearers of Bar Associations or some vote-seekers knowingly make such people members and voters of their Associations with a motive to get their votes in the elections of Bar Associations or Bar Councils. Similarly, many persons, after getting enrolled as Advocates in any State Bar Council, get involve in Property-Dealings, contract or switch over to some other business, profession or job and have no more concern with the Legal profession. Such “non-practicing Advocates” are sometimes being used by some of the office-bearers/candidates for elections of Bar Associations or Bar Councils (only for their votes). But in fact, the Council has realized that such practice is degrading the standard of Legal profession, and this mal-practice has to be stopped.

Few of the office-bearers/representatives of some of the Bar Associations had raised unnecessary objections and protests to these reformative steps. Such protests were/are only to serve their vested interests. Bar Council of India has to maintain the dignity and standard of Legal profession, we shall have to oust fake people from the court-campus and we shall have to identify the “non-practicing Advocates”, (who are involved in other job, business or profession). We are to ensure that such Advocates do not involve in deciding the fate of our Associations and the Bar Councils; And such Advocates are not allowed to get any benefit of welfare schemes or to practice Legal profession so long they are in any other business, job or profession.

It is due to these reasons, the Council has decided to make provisions for identification of such fake persons and non-practicing Advocates. And the Council has also felt it necessary to discourage those Advocates who raise unnecessary protests with an intent to keep and protect the fake and/or non-Practicing Advocates with an object to get their votes. Therefore, the Council has resolved to make suitable provisions in these Rules so that if any Advocate is found to be indulged in making deliberate effort to

- (i) Protect fake people practicing legal profession illegally
- (ii) to create any hurdle in identification of “non-Practicing Advocates” and
- (iii) create any objection in verification of the certificate of practice, credentials, place of Practice and details of Advocates, such Advocates would be debarred from contesting any election of Bar Association or Bar Council for a period of three years from the date of order to this effect.

Under the circumstances and for the abovementioned reasons, the Council has resolved to repeal the “Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules 2014” and has made and passed the new “ Bar Council of India Certificate and place of Practice (Verification) Rules 2015”, and has decided to implement it.

## **CHAPTER I**

### **PRELIMINARY**

#### **1. Short Title:**

These Rules shall be called as the “Certificate and place of Practice (Verification) Rules, 2015”.

**2. Extent:**

These rules will be applicable to all the advocates whose names appear on the State Rolls being maintained by the State Bar Councils under section 17 of the Advocates Act, 1961.

**3. Date of commencement:**

These rules, except Rule 7 of Chapter III, shall come into force at once from the date of publication of these Rules in the Gazette of India. Rule 7 of Chapter III shall come into force on such date as the Bar Council of India may, by notification in the Gazette of India, appoint in this behalf.

**4. Definitions:**

- (a) **Act** means the Advocates Act, 1961.
- (b) **Advocate** means an advocate whose name is entered in the Roll of advocates being maintained by the State Bar Councils under section 17 of the Advocates Act, 1961.
- (c) **Certificate of Enrolment** means the certificate of enrolment held by an advocate issued under section 22 of the Advocates Act, 1961.
- (d) **Certificate of Practice** in relation to an advocate having obtained graduate degree in law before the academic year 2010 enrolled on the roll of Advocates shall mean Certificate of Practice issued under Rule 13 and in relation to an advocate graduating in law in academic year 2009-2010 (1<sup>st</sup> July, 2009 to 30<sup>th</sup> June, 2010) and thereafter, enrolled on or after 12<sup>th</sup> Day of June, 2010, Certificate of Practice means the “Certificate of Practice” issued under All India Bar Examination Rules or under Rule 13 of these Rules or the enrolment certificate issued by the State Bar Council.
- (e) **State Bar Council** means the State Bar Councils as defined under section 3 (1) (a) of the Advocates Act, 1961.
- (f) **Verification/process fee** means the amount/s payable under these rules as fee and amount for processing of Application and its verification. This amount may be varied by the Bar Council of India from time to time and on such variation, the varied amount shall mean the fee.
- (g) **Bar Association** of a given area/town/city means an area/territory and court work based association of advocates, whether registered under the Societies Registration Act (Act No. XXI of 1860) or not having its area/territory defined in terms of the whole or part of the territorial jurisdiction of Courts/Tribunals/Persons or any other Authorities legally competent to take evidence before which its members ordinarily practice law and it includes Bar Association exclusively dealing in specific fields of law viz. Income Tax, Corporate Law, Central/State Excise Law etc. in relation to the authorities/tribunals/boards etc. thereunder.
- (h) **“Roll of advocates”** means “roll” as defined in the Advocates Act.
- (i) **“Administrative Committee”** shall mean a committee comprising of three members of the State Council, constituted by the State Bar Council by way of election, for discharging such functions and duties as are entrusted to it under these Rules. There may be more than one such Committee depending upon the work load of a particular State Bar Council.
- (j) **An non-practicing advocate** means an Advocate enrolled with any State Bar Council, but is not in actual practice of Law and is engaged in some other public or private job, business, contract etc. not related to Legal profession: and who has been so declared under Rule 13 and Rule 20.2 of these Rules and whose name stands published under Rule 20.4.
- (k) **Fake Person** is a person who is involved in practicing in Courts of Law/Tribunals or other Legal forums without having a valid Degree in Law (without any enrolment in any State Bar Council) and use to appear in such Courts, Tribunals or Forums illegally posing him as an Advocate.
- (l) **All terms and phrases** used in these rules shall have the same meaning as they have under the Advocates Act, 1961, unless the context in which such words and phrases are used, expressly suggest to the contrary.



**5. Necessity of “Certificate of Practice”:**

An advocate shall not be entitled to practice law unless he holds a valid and verified certificate of practice issued either under All India Bar Examination Rules or under these Rules.

This disability to practice law would come into force only when the name/names of such advocate/s is/are published under Rule 20.4.

**5(a) Exemption of certain categories of Advocates:-**

However, it is made clear that the senior Advocates designated under Section 16 of the Act and the Advocates on Record of Supreme Court of India shall not be required to fill up the form for Verification. The senior Advocates and Advocates on Record of Supreme Court of India are simply required to send their two passport size photographs with their names and current Address to the concerned Bar Council through their respective Associations so that their names could be included in the voters –list of State Bar Council. There is a separate form ‘**Form E**’ for that purpose.

**CHAPTER II****LOCAL BAR ASSOCIATIONS****6. Advocate to be a member of the Bar Association where he/she normally practices law:**

- 6.1 An advocate, after having obtained a Certificate of Enrollment under section 22 of the Advocates Act, 1961, is required to get himself registered as a member of the Bar Association where he ordinarily practices law or intends to practice law. And if any Advocate does not intend to be a member of any Bar Association duly recognized by concerned State Bar Council, then he shall be required to intimate the same to the State Bar Council and he shall have to explain as to how shall he be getting the benefits of any welfare scheme floated by the State Bar Council or the Local Bar Association. The decision of State Bar Council shall be final in this regard.
- 6.2 In case an advocate leaves one Bar Association and joins another by reason of change of place of practice or by reason of change of field of law, he/she shall intimate such change with all the relevant particulars to the State Bar Council, of which he is a member. Such fact of leaving as well as of joining shall be independently intimated to the aforesaid said Bar Council within a period of one month.
- 6.3 Bar Associations to apply to the respective Bar Council within whose jurisdiction they are located, for being recognized under these rules. Recognition shall be accorded to such a Bar Association only which falls within the definition of Bar Association as defined in these rules.

**CHAPTER III**

- 7.1 If it comes to the notice of the Council through any source that any office-bearer of any Bar Association or any Advocate is involved in making unnecessary, baseless and deliberate protests/objections in the process of identification of fake persons (involved in Legal profession) or in the identification of non-practicing Advocates (who are doing some other job, business etc.) and/or making any attempt to mislead the Advocates of his Association or State by making irresponsible statements with ill motive to create hurdle in implementation of these reformatory Rules, a Tribunal constituted by the Bar Council of India and the State Bar Council may pass an order debaring such Advocate or office-bearer from contesting the elections of Bar Association/State Bar Council for a period of three years from the date of passing of such order.
- 7.2 Any such order be passed only by a Tribunal consisting of one former Judge of any High Court (nominated by Bar Council of India) one senior Advocate and one Senior Member of State Bar Council (nominated by the Chairman and the Vice-Chairman of that Bar Council.) Hon’ble Former Judge of High Court shall be the Presiding Officer of the Tribunal and no adverse order can be passed by such Tribunal unless the concerned office-bearer/Advocate is given an opportunity of hearing. The decision of majority will prevail in such decision. The Tribunal shall have power to pass interim orders also.

The State Bar Council or Bar Council of India may refer the matters to such Tribunals and the Tribunal shall dispose of the matters expeditiously. There shall be a separate Tribunal for each State Bar Council.

- 7.3 An Appeal/Revision shall lie before the Bar Council of India against any order passed by the said Tribunal, if preferred within a period of 60 days from the date of order: However, the Council shall have the power to condone the delay in filing such Appeal/Revision beyond 60 days, if sufficient cause is shown by the appellant/petitioner.

#### CHAPTER IV

#### **APPLICATIONS/ORDERS/OBJECTION PETITION WITH RESPECT TO GRANT/VEFIFICATION OF CERTIFICATE AND PLACE OF PRACTICE**

#### **8. Application for verification of "Certificate to practice and place of Practice" by advocates enrolled on or before June 12, 2010:**

- 8.1 An advocate graduating in law in academic year 2009-2010(1<sup>st</sup> July, 2009 to 30<sup>th</sup> June, 2010) and thereafter, enrolled on the "Roll of Advocates" on or after June 12, 2010, is required to apply for issuance of "Certificate of Practice" under All India Bar Examination Rules, 2010 and for verification of such "Certificate of Practice" from the State Bar Council in which he/she is enrolled as an advocate under Rule 9.
- 8.2 An advocate having obtained graduate degree in law before the academic year 2010 enrolled on the "Roll of Advocates", is required to apply for verification of "Certificate of Practice and place of practice" from the State Bar Council in which he/she is enrolled as an advocate under this rule within a period of 6 months of the enforcement of these Rules/date of enrolment.
- 8.3 Every application for issuance of verified Certificate of Practice shall be submitted in the prescribed format as given in **Form A** Column I and Column II annexed with these Rules disclosing all the necessary informations as required thereunder to the State Bar Council, with which he/she is enrolled.
- 8.4 Every such application shall be accompanied by the following documents, certificates, declaration, fee etc: -

- i. Verification fee/process fee in the sum of Rs.100/- (rupees one hundred only) by way of Bank Drafts/Account payee bank cheque or cash in the name of :-
  - a. Secretary State Bar Council, with which the applicant is enrolled (or it may be paid in cash also);

Out of this Rs. 100/-, the Secretary, State Bar Council

shall send a sum of Rs. 20/- to the concerned Bar Association and Rs. 30/- to Bar Council of India, rest Rs. 50/- is to be kept in the Account of State Bar Council.

- ii. A declaration in the prescribed format as given in Column II of **Form 'A'** annexed with these Rules;
- iii. Two passport size photographs duly attested by the President/Secretary of the Bar Association or by any other office bearer of the Association who is duly authorized for this purpose by the Bar Association, of which the applicant is a member, or by a member of the State Bar Council duly authorized by the State Bar Council or Bar Council of India ;
- iv. Certificate in **Form A Column III** issued by the President/Secretary or by any other office bearer of the Association, who is duly authorized for this purpose by the Bar Association/ to the effect that the applicant advocate is a bona fide member of the concerned Bar Association and that he has not left law practice OR By any member of State Bar Council duly authorized by State Bar Council or by the Bar Council of India.

In case, the applicant has been a member of different Bar Associations at different times since the issuance of certificate of enrolment under section 22 of the Advocates

Act, 1961, such certificates may be obtained from the Presidents/Secretaries of the different Bar Associations, of which the applicant remained a member, at different times.

In case, the certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act, 1961 was granted more than five (5) years prior to the date of application, such certificate/certificates needs to be confined only to a period of five (5) years.

Provided that in case it is established at any stage that any such Authority has deliberately issued a certificate in Column III of FORM 'A' even after knowing that the Advocate is not in practice, the State Bar Council will be at Liberty to take appropriate action against such Authority issuing such certificate.

- 8.5 That the aforesaid application may be filed by the applicant along with all the aforesaid documents either by hand in the Office of the State Bar Council against proper receipt or send to the Secretary under registered post or through the Bar Association, of which he/she is a member.

**9. Application for Verification of Certificate of Practice issued by**

**State Bar Council:**

9.1 The Certificate of Practice issued to an advocate under Rule 13 of these Rules or under All India Bar Examination Rules and Verification thereof, shall be valid for a period of five years (5) years only and is liable to be verified every five (5) years by filing an application for verification in advance within a period of six (6) months, before the validity period of "Certificate of Practice" or of its verification, expires.

9.2. All such applications for verification shall be filed in the format as given in **Form A** annexed with these Rules and it shall be accompanied by such documents, certificates, declaration, fee etc as are mentioned in clauses (i), (ii) and (iv) of Rule 8.4 and the same may be submitted as per Rule 8.5.

**10. Delayed application with late fee:**

That all the applications for verification of "Certificate of Practice" filed after the time fixed by rule 8/rule 9.1 of these Rules shall not be received by the Office/Secretary unless it is accompanied by late fee in the sum of Rs.100/- (one hundred only) and such late applications would be entertained only for a period of six (6) months.

**11. Delayed application for verification with penalty clause:**

That all applications for verification of certificate of practice filed after the period fixed under rule 10 shall not be received and processed by the Office/Secretary unless it is accompanied by a penalty fee of Rs.50 (rupees fifty only) per month reckoned from the last date on which such an application ought to have been made under Rule 10 of these Rules but such late application with penalty clause attached thereto would be entertained only for a period of six (6) months.

**12. Incomplete and faulty applications:**

That in case, the applications so received, are found to be incomplete/faulty, the Office of State Bar Council shall intimate the concerned advocate of such shortcomings/defects by issuing letter under registered Post and such applications shall be processed further by the Office on removal of such shortcomings/defects.

The time taken to remove such shortcomings/defects by the concerned applicant may be counted towards late fee payable by the concerned advocate at the rate of Rs.1, 00/- per month unless it is waived by the Chairman/Vice-Chairman of the State Bar Council in case sufficient cause is shown for such delay.

**13. Order on the application for verification of Certificate of Practice:**

That every application for verification of certificate of practice and place of practice received shall be scrutinized by the Office within a period of one month from the date of its receipt and if found in

order, it shall be placed along with the personal file of the applicant before the Administrative Committee, for passing the requisite order allowing or dismissing the application.

Such application is liable to be dismissed only in case it is found that the advocate has left law practice and that he/she has no bona fide intent and interest in continuing it in future also and such an advocate shall be treated as a non-practicing advocate under these Rules.

No adverse order can be passed under this rule unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the applicant.

#### **14. Objection Petition:**

14.1 An advocate or any person may file an objection petition before the State Bar Council seeking to add the name/names of an advocate/advocates in the List of Non-Practicing Advocates on the ground that such an advocate has left law practice and that he/she has no bona fide intent and interest in continuing it in future also.

14.2 Rule A. I (1) and rule A. I (2) of Chapter I of Part VII of the Bar Council of India Rules relating to complaints under section 35 of the Advocates Act shall, mutatis mutandis, apply to these objection petitions except that such objection petition shall be accompanied by a security amount of Rs.1, 000/- and not such fee as is prescribed in the aforesaid Rules relating to complaints under section 35 of the Advocate Act.

14.3 That in case the State Bar Council finds that there is a prima facie case in favor of the applicant; it shall refer it for decision to its Administrative Committee.

14.4 That the “Administrative Committee” of the State Bar Council shall decide and dispose of such an objection petition along with application for issuance/verification of Certificate of Practice of the concerned advocate, if any. But if no such proceedings are pending, such objection petition shall be decided independently.

Such procedure as is applicable to complaints under section 35 of the Advocates Act shall apply, mutatis mutandis, to proceedings under this rule.

14.5. That in case the complaint is found to be vexatious, frivolous and mala fide, the security amount deposited with the objection petition shall be forfeited to the State Bar Council.

14.6 The “Administrative Committee” shall be required to decide the objection petitions within a period of 15 days from the date of objection.

**Explanation:-** An Advocate shall be deemed to be in practice, if he is able to establish that he has appeared in any Court of law or has filed Vakalatnama even in one case before any Court of Law/other forum in a year before these Rules came into force.

### **CHAPTER V**

#### **FOLLOW UP ACTION**

#### **15. Follow up action of order passed under rule 13:**

15.1 That immediately after the application for verification of Certificate of Practice is allowed under Rule 13 of these Rules; the Office of the State Bar Council shall prepare the verified Certificate in FORM ‘B’ in duplicate duly signed by the Chairman of the State Bar Council and in his absence by the Vice chairman of the State Bar Council or by such other member of the State Bar Council who is specifically authorized for the said purpose by the State Bar Council.

15.2 That one copy of such verified Certificate of Practice shall be dispatched to the advocate concerned under registered Post AD without any delay and the other copy shall be kept in the personal file of the advocate. The State Bar Council shall also make rules and issue an Identity card of such Advocates containing their photographs, which I-card shall be valid for a period of 5 years from the date of issuance and it shall be required to be produced at the time of voting election of State Bar Council or Bar Association.

15.3 That the State Bar Council shall maintain a separate Dispatch Register containing all the details as to the particulars of issuance/verification of the certificate of practice, original

certificate of enrolment and full particulars of the advocate as to age, date of birth, address, email id etc..

This Register shall be maintained year wise in such manner as may be prescribed by the State Council.

- 15.4 Every State Bar Council shall send to the Bar Council of India an authenticated soft copy of the record maintained by it under Rule 15.3 every year.

## **CHAPTER VI**

### **CONSEQUENCES OF ORDER U/R 13 AND OF FAILURE TO MAKE APPLICATIONS**

#### **16. Consequence of dismissal of application under Rule 13:**

In the event of dismissal of application under Rule 13, such consequences as are laid down by Rule 20.4 would follow.

#### **17. Consequences of failure to make application as stipulated by**

##### **Rule 7 to 11:**

That in case an advocate fails to make an application for verification of Certificate of Practice within such period/extended periods as provided for under Rules 8 to 11 and in case he fails to remove the shortcomings/defects in his application despite intimation under Rule 12 for a period of 6 months, it shall, prima facie, be presumed that the such an advocate has left law practice and that he/she has no bona fide intent and interest in continuing it in future also.

#### **18. Follow up action against advocates who fail to respond and fall within the ambit of Rule 17 and publication of “list of defaulting advocates”:**

- 18.1 That the Office of the State Bar Council shall prepare a list of such defaulting advocate/advocates who has/have failed to apply for issuance/verification of Certificate of Practice within such period/extended period as provided for by these Rules or have failed to remove shortcomings/defects in their applications despite intimation within the stipulated period of 6 months.

This list may be titled as the “**List of the Defaulting Advocates**”.

- 18.2 All such advocates whose name/names have been included in the list of “defaulting advocates” shall be given due notice of the fact that their name/names stood included in the above list and further notice of this list shall also be given in the following manner:

- i. One copy of such List shall be displayed outside the Office of the Bar Council;
- ii. Copies of such list shall also be sent to such District/Tauka Bar Association/s to which such advocate/advocates belong as per the address last disclosed by him/her and also to the concerned High Court/Supreme Court Bar Association;
- iii. **A letter of intimation** that his/her name stands included in such list shall also be sent to the defaulting advocate at the address last disclosed by him/her under registered Post.
- iv. This List shall also be **published** by the State Bar Council as per law.

#### **19. Late Applications after publication under Rule 18:**

If an application for issuance/verification of Certificate of Practice is received by the State Bar Council within a period of 6 months **of the publication** of the aforesaid list of defaulting advocates under Clause (iv) of Rule 18, it shall be accompanied by such late fee and penalties as are specified by rules 10 to 12 of these Rules.

All such applications shall be processed by the Office as per the procedure laid down by rule 10 to 12 and thereafter order on such applications shall be obtained under rule 13 and such order shall be given effect to as per these rules.

**20. Consequences of failure to respond and publication of “list of non-practicing advocates:**

- 20.1 That if no application for issuance/verification of Certificate of Practice is made under these rules or if an application is filed but defects are not removed as per Rule 17, it shall be presumed for the purposes of these rules that such an advocate has left law practice and that he/she has no bona fide intent and interest in continuing it in future also.
- 20.2 That on the expiry of a period of 6 months of the publication of such “List of Defaulting Advocates”, the State Bar Council shall pass an order directing that the name/names of such advocate/advocates appearing “List of the Defaulting Advocates” be put in the list of “Non-Practicing Advocates”.
- 20.3 That due notice of the list of “Non-Practicing Advocates” shall be given to the followings:-
- i. One copy of such List shall be sent to the Bar Council of India and to all other State Bar Councils.
  - ii. One copy of this list shall be sent to all the Courts situated within the territorial limits of the State Bar Council and also to the concerned High Court. Once copy shall be sent to Supreme Court of India also.
  - iii. Copies of such list shall also be sent to such District Bar Association/s to which such advocate/advocates belong as per the address lat disclosed by him/her and also to the concerned High Court/Supreme Court Bar Association;
- 20.4 The List of Non-Practicing advocates and name/names of advocates whose application for issuance/verification of certificate of practice stands dismissed under Rule 13 shall also be **published** by the State Bar Council as per law after such list/name/names is/are approved by the Bar Council of India.

List of such non-practicing Advocates is to be furnished by the concerned State Bar Council to Registrar of Supreme Court of India, Registrar of all the High Courts, Subordinate courts of the States, Bar Association of Supreme Court of India and Bar Associations of all the High Courts and Subordinate Courts.

**21. Non-practicing advocates as included in the list of “non-practicing advocates” not entitled to practice law and to other privileges and rights:**

- 21.1 From the date of publication of the aforesaid list of non-practicing advocates, all such advocate/s whose name/names has/have been included in the aforesaid list, shall not be entitled to appear in any Court of Law, before any Tribunal or person legally authorized to take evidence and before any other authority or person before whom such advocate is by or under any law for the time being in force entitled to practice, notwithstanding the fact that name/names of such advocates is/are entered in the State Roll and that he is holding certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act.

Further, name/s of such advocate/s shall not be included in the electoral roll for the purposes of elections to the State Bar Councils. Such an advocate/s shall cease to be a member of any Bar Association and further he/she shall not be entitled to cast vote/s in any elections of the Bar Associations.

The status and rights of such advocate/s “as advocate/s entitled to participate and receive benefits” under Welfare Schemes of Bar Council of India created under Rules 40 to 44 B of Section IV-A of Chapter II contained in Part VI of the Bar Council of India Rules and other schemes floated by the State Bar Council shall come to an end w. e. f. the date of publication of the List/name/names of Non-Practicing Advocates under Rule 20.4 with the exception that such an advocate would be entitled to receive such benefits under the relevant scheme/s, if any, which have already accrued in his/her favor.

**CHAPTER VII****UPDATING OF THE RECORD OF PRACTICING AND NON-PRACTISING ADVOCATES****22. Record with respect to practicing and non-practicing Advocates:**

- 22.1 That on culmination of the initial process of identification of Non-practicing Advocates in the aforesaid manner in the publication of the List of such advocates under Rule 20.4, the State Bar Council shall create and maintain a separate record of such Advocates with all particulars as to name, address, date of birth, date of enrolment, enrolment number, particulars of application for issuance/verification of Certificate of Practice, if any, and of its dismissal. This record shall be updated regularly.
- 22.2 Every State Bar Council shall send to the Bar Council of India an authenticated soft copy of the record as maintained under Rule 22.1 every year.
- 22.3 All the Advocates whose certificate of Practice are duly verified shall be issued a certificate of Practice affixing his photograph and mentioning the period of its validity FORM 'B' ; And the State Bar Council shall also issue an Identity card to such Advocates containing a Xerox copy of his photograph and the period of its validity FORM 'D'. The Advocates would be supposed to carry it while practicing in Courts/ Tribunals or other Forums, so that in case of demand by any Law Court/Authority or any Advocate or any Litigant or citizen one can easily establish that he is an Advocate.
- 22.4 An Advocate after getting the verified Certificate of Practice under these Rules can appear before any Court of Law/Tribunal or other forum in India as per Section 30 of the Advocates Act subject to fulfillment of any condition imposed by any competent or Court of Law.

**23. Updating of the electoral rolls of the State Bar Council for the purposes of elections:**

On the publication of list of non-practicing Advocates under rule 20.4 and after sending copy of such record to the Bar Council of India under Rule 22.2, the State Bar Councils shall start the process of preparation of electoral roll for elections to the State Bar Councils as per Chapter I, Part-III of the Bar Council of India Rules. No State Bar Council shall undertake to prepare electoral roll or to conduct elections to the State Bar Councils unless the process of verification of Certificate of Practice and of identification of non-practicing advocates is completed under these Rules by publication of their names under Rule 20.4.

Provided that the election/s of the State Bar Council/s where a special committee/committees under section 8A of the Act is/are already functioning on the date of commencement of these rules, shall continue under the existing rules as if these rules have not been enforced. In such State Bar Councils, these Rules shall come into force only after the new State Bar Council is constituted on the declaration/publication of the results of the elections.

The State Bar Councils are required to constitute various Committees for implementation of these Rules. If any State Bar Council is proved to be deliberately slack unnecessarily in verification of Certificate of Practice and identification of non-Practicing Advocates, then in that case Bar Council of India would be at Liberty to take appropriate action under the provisions of Advocates Act, 1961.

**CHAPTER VIII****APPEAL, REVISION ETC.****24. Appellate Tribunal:**

- 24.1 There shall be an Appellate Tribunal for disposal of appeals under these rules with respect to each State Bar Council and such Tribunal shall comprise of the following members:-
- i. Two Members of the State Bar Council elected by the State Bar Council under Rule 44 A(2)(i) of Bar Council of India Rules under Part VI, Chapter II, Section-(IV A).
  - ii. One member of the State Bar Council from amongst the members of the Executive Committee to be nominated by the Chairman of the State Bar Council and another

member nominated by the Member, Bar Council of India from the concerned State Bar Council.

III. Member of the Bar Council of India from the concerned State Bar Council who shall be its Chairman;

24.2 That the quorum of the Appellate Tribunal shall be three members but no final order shall be passed unless the Chairman of the Appellate Tribunal is party thereto.

**25. Appeal against order passed under Rule 13/Rule 20.2:**

That in case the application of an Advocate for verification of Certificate of Practice is dismissed under **Rule 13** of these Rules/in case the name of an Advocate is ordered to be included in the list of “non-practicing Advocates” by the State Bar Council under Rule 20.2, the aggrieved party may, within a period of 60 days of the date of passing of the order or publication of the list of non-practicing advocates under Rule 20.4, **prefer an appeal** against such order to the Appellate Tribunal but delay in filing the appeal can be condoned, if sufficient cause is shown for such delay.

Every such appeal shall be accompanied by an attested copy of the impugned Order. The appeal shall not be received and entertained unless it is accompanied by a fee of Rs. 200/- in the form of a Bank draft/Account Payee Bank Cheque favoring Secretary, State Bar Council of the concerned State Bar Council.

Out of this amount of Rs. 200/-, the Secretary, State Bar Council shall send/ deposit remit a sum of Rs. 50/- to the Account of the Bar Council of India and a sum of Rs. 50/- shall be transferred to the fund known as “Fund for Promotion Bar Associations” under these rules.

Every such appeal shall be heard by the Appellate Tribunal, which may pass such order there on as it deems fit. Appeal is to be decided expeditiously preferably within 90 days of its filing.

**26. Stay of operation of order passed under rule 13 and rule 19.2:**

Mere filing of an appeal against order passed under rules 13 and 20.2 shall not operate to stay the operation of order appealed against unless its operation is stayed by the Appellate Tribunal on such conditions as it may deem fit.

**27. Power of Revision:**

27.1 The Bar Council of India may, at any time, call for the record of any proceeding under these Rules which has been disposed of by the State Bar Council or by the Appellate Tribunal, and from which no appeal lies, for the purpose of satisfying itself as to the legality and propriety of such order or disposal and may pass such orders in relation thereto as it may deem fit.

This revision shall be under Part-II, Chapter IX of BCI Rules viz. Section 48A of the Advocates Act, 1961.

27.2 No order which prejudicially affects any Advocate shall be passed under this Rule unless an opportunity of being heard has been afforded to him.

**CHAPTER IX**

**RESUMPTION OF PRACTICE**

**28. Resumption of Practice:**

28.1 If an advocate whose name has been included in the “list of non-practicing advocates” published under Rule 20.4, intends to resume law practice in the changed circumstances, he may apply to the State Bar Council that his/her name may be taken out of such list.

28.2 Application for resumption shall be made in Form C along with resumption fee of Rs.2, 000/- and declaration.

Such an application shall be supported by a certificate in Column III of Form A issued by the President/Secretary of the Bar Association, of which the applicant intends to become member for doing practice in law.



- 28.3 The State Bar Council shall refer such an application for resumption to the Administrative Committee which may pass an appropriate order allowing or dismissing such application provided that such an application shall be allowed only if the Administrative Committee is satisfied that the intent of the applicant to resume law practice is bona fide.
- 28.4 In case application for resumption is allowed, the name of the applicant shall be taken out of the list of the “non-practicing advocates” and such exclusion shall be duly notified and published as provided by rule 20.3 qua “list of non-practicing advocates”.
- 28.5 That from the date of publication under Rule 28.4, all disabilities suffered by the applicant under rule 21, shall not survive but he/she shall not be entitled for any benefits/privileges that were denied to him under Rule 21 for the period his/her name remained in the “list of non-practicing advocates”.
- 28.6 Out of Rs. 2000/-, a sum of Rs. 1000/- shall be utilized by State Bar Council for the purpose of welfare of Advocates and Rs.500/- shall be transferred to the concerned Bar Association and Rs. 500/- shall be utilized by Bar Council of India for the welfare of Advocates.

### **CHAPTER X**

#### **PROCESS FEE FUND**

#### **29. The Verification/Process Fee Fund:**

The State Bar Council shall open a separate account for this purpose to be operated jointly by the Chairman and Secretary of the State Bar Council.

- 29.1 That all the payments towards application verification fee, late fee and penalties payable under these rules shall be paid by way of bank drafts/account payee bank cheques only in the name of Secretary State Bar Council or it may also be deposited in cash to the Secretary, State Bar Council or it may also be deposited in cash to the Secretary, State Bar Council.
- 29.2 That the all the amount collected under these rules shall be utilized for the following purposes only:-
- (a) To meet the administrative and other expenses arising in connection with these Rules; The rest of amount shall be spent.
  - (b) To make contributions to different Bar Associations for the following purposes only:-
    - i. Establishing and improving Law libraries.
    - ii. Improvement of infrastructure in the premises of the Bar Associations which is reserved for the common use of the advocates and to make such other contributions for promoting and strengthening the Bar Associations at the Taluka, District, High Court and Supreme Court levels as it may deem fit.
    - iii. To promote welfare schemes for advocates. Such welfare schemes may include insurance of all kinds with respect to the advocates and their dependent members of the family; pension schemes, stipends for junior and disabled advocates, continued legal education/training of advocates.

### **CHAPTER XI**

#### **MISCELLENOUS**

#### **30. Removal of difficulties:**

In case of any doubt or dispute as to the meaning, interpretation, execution of these Rules arises, the Appellate Tribunal shall be the final authority to settle all such issues and its decision thereon shall be final.

#### **31. Regulatory Powers:**

The Bar Council of India shall have the right of issuing such regulations to the State Bar Council from time to time, as are necessary for the proper implementation and execution of these Rules and

such regulations shall be complied with by the State Bar Council in letter and spirit so that uniformity is maintained in the application of these Rules throughout the Country.

**32. Power of Bar Council of India to form Ad-hoc Committees:**

In case the term of elected members of any State Bar Council is likely to expire/expires due to delay in the process of identification of non- practicing advocates under these rules or in case of delay in the preparation of the electoral roll for the elections to the State Bar Councils, the Bar Council of India shall constitute an ad-hoc Committee consisting of required number of elected members of the State Bar Council for smooth running of the State Bar Council and for expeditious execution of the aforesaid process. This ad-hoc Committee of State Bar Council shall function under the Special Committee constituted under Section 8A of the Act till the process of preparation of electoral roll as per Chapter I, Part-III of the Bar Council of India Rules for the purpose of elections to the State Bar Council is completed.

**33. Saving clause**

The Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules 2014” are hereby repealed. However, any certificate of the nature of Certificate of Practice as defined in those Rules and verification/renewal thereof (by whatever name/manner or form they may have been issued/granted by the State Bar Councils) or under Bar Council of India Certificate of Practice Renewal Rules 2014 and any other action taken/order passed by the State Bar Council in connection with any such Rule, before the enforcement of these Rules, shall continue to be valid for a period of five years from the date of its issuance/renewal, but on the expiry of period of five years, such certificate issued by the State Bar Council is required to be verified under these Rules.

**34. Repeal of all Resolutions/Rules passed/framed either by any State Bar Council or by Bar Council of India.**

Any Resolutions/Rules passed/framed by any State Bar Council or by Bar Council of India, which are inconsistent with these Rules, shall stand repealed from the date on which these Rules come into force.

**35.** The decision with regard to Rs. 500 or Rs. 200 (as the case may be) as paid by any Advocate as Practice fee as provided under Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules. 2014, prior to the date of commencement of these Rules of 2015, shall be taken by the concerned State Bar Council. Either after deducting Rs.100 as Process/Verification fee the rest of Rs. 400 or Rs.100 (as the case may be) is to be refunded to the Advocate or it may be utilized for the insurance of the Advocate and his family or for the benefit and welfare of concerned Advocate. This decision is to be taken by the concerned State Bar Council only after obtaining option of concerned Advocate.

J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT.III/4/Exty./96/14]